



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032026-271111
CG-DL-E-21032026-271111

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2026/फाल्गुन 27, 1947

No. 64]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2026/PHALGUNA 27, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026

(अंतिम जाँच परिणाम)

मामला सं. एडी (ओआई) -40/2024

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित 'लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल टैंक (एलएफटी)' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच में अंतिम जाँच परिणाम।

फा. सं. 6/43/2024 -डीजीटीआर.-समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः, मै. इनोक्स लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' कहा गया है) ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया

है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित ‘लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल टैंक (एलएफटी)’ (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” या “एलएफटी” कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क संबंधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः, आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से प्रमाणित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/43/2024-डीजीटीआर दिनांक 24 दिसम्बर 2024 के माध्यम से, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार चीन जन गण से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा उसके प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

3.1 जांच की शुरुआत

- क. नियम 5(5) के अनुसार, जांच की शुरुआत करने से पूर्व प्राधिकारी ने भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास को इस पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में सूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई। प्राधिकारी ने इस जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उसकी सरकार, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों तथा अन्य संबंधित पक्षकारों, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

3.2 आवेदन के अगोपनीय अंश का परिचालन

- क. प्राधिकारी ने नियम 7(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में स्थित उनके दूतावास के माध्यम से उस देश की सरकार को प्रदान की। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी, अनुरोध करने पर, उपलब्ध कराई गई।

3.3 संबद्ध देश के निर्यातकों की भागीदारी

- क. प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।

क्रसं	संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1	झांगजियागांग फुरुई सिट कंपनी लिमिटेड
2	शेडोंग औयान न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
3	शीज़ीयाज़ूआंग एनरिक गैस इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड

- ग. उपरोक्त के प्रत्युत्तर में, चीन जन गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।
- घ. विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को कोई उत्तर नहीं दिया है, या जिन्होंने इस जांच से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें इस जांच में असहयोगी माना गया है।

3.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं की भागीदारी

- क. प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी।

- क. एडवांटेक फ्यूल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
 ख. अमोल-प्राला क्लीन एनर्जी प्रा. लि.
 ग. अशोक लीलैंड लिमिटेड
 घ. ब्लू एनर्जी कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 ङ. महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन
 च. टाटा मोटर्स लिमिटेड
 छ. शिगन ग्रुप
 ज. वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड
 झ. वीआरवी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड

- ख. निम्नलिखित प्रयोक्ताओं/आयातकों ने वर्तमान जांच में पंजीकरण कराया है।

- क. एडवांटेक फ्यूल सिस्टम्स प्रा. लि.
 ख. अमोल प्राला क्लीन एनर्जी प्रा. लि.
 ग. ब्लू एनर्जी कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड

- ग. अमोल प्राला क्लीन एनर्जी प्रा. लि. ने अनुरोध प्रस्तुत किए थे, किंतु बाद में उसने अपने सभी अनुरोध वापस ले लिए थे। तदनुसार, अमोल प्राला क्लीन एनर्जी प्रा. लि. द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है।

3.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि

- क. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (15 महीने) निर्धारित की गई है। इस जांच के लिए क्षति अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

3.6 आगे की प्रक्रिया

- क. आवेदन की जांच करने पर प्राधिकारी को पाटन तथा परिणामी क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्राप्त हुए। इसलिए, नियम 5 और 6 के अनुसार, अधिसूचना फा. सं. 6/43/2024-डीजीटीआर दिनांक 24 दिसंबर 2024 के माध्यम से प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की शुरुआत की।
- ख. क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के सौदा-वार आयात आंकड़े प्राप्त करने हेतु सिस्टम्स और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) से अनुरोध किया गया। प्राधिकारी को यह आंकड़े प्राप्त हुए और सौदों की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया गया है।
- ग. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन में उपलब्ध जानकारी के आधार पर भारत में संबद्ध देश के दूतावासों, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत अधिसूचना की प्रति भेजकर जांच की शुरुआत की सूचना दी।
- घ. नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, संबद्ध आयात के ज्ञात निर्यातकों को तथा उन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई जिन्होंने लिखित रूप में आवेदन की प्रति मांगी थी।
- ङ. प्राधिकारी ने भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया कि वे अपने देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना और प्रश्नावली अग्रेषित करें तथा उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- च. सार्वजनिक हित तथा व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्राधिकारी ने आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को भेजी गई। ईआईक्यू प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई। केवल घरेलू उद्योग ने ईआईक्यू के उत्तर में प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है।
- छ. निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे वर्तमान जांच में अपने सभी अनुरोधों के अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करें।

- ज. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 15 जुलाई 2025 को आयोजित सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें, जिसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत किए जाएँ। इसके बाद 12 दिसंबर 2025 को दूसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की गई और पक्षकारों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिखित अनुरोध तथा प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
- झ. नियम 6(8) के अनुसार, जहाँ किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जाँच के दौरान आवश्यक जानकारी देने से इनकार किया है या समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न की है, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच परिणाम दर्ज किए हैं।
- ञ. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई जानकारी की गोपनीयता संबंधी दावों की पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहाँ आवश्यक पाया वहाँ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया। जहाँ संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को उस जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय अंश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
- ट. नियम 8 के अनुसार, जांच के दौरान प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की सत्यता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया, जो इस अंतिम जांच परिणाम का आधार है। जानकारी का यथासंभव सीमा तक सत्यापन किया गया तथा घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और दस्तावेजों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया जिसे संगत, व्यावहारिक और आवश्यक माना गया।
- ठ. नियम 8 के अनुसार, वर्तमान जाँच के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन किया। वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- ड. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना उत्पादन की सर्वोत्तम लागत तथा भारत में समान घरेलू उत्पाद के उत्पादन और बिक्री की लागत के आधार पर की गई है, जो घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है।
- ढ. जहाँ किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक जानकारी देने से मना किया है या आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न की है, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम दर्ज किया है।

- ण. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई जानकारी पर उस सीमा तक विचार किया है, जहाँ तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत हैं।
- त. प्राधिकारी ने 11 मार्च 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को सभी आवश्यक तथ्यों को सम्मिलित करते हुए प्रकटन विवरण परिचालित किया। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की इन अंतिम जाँच परिणामों में उस सीमा तक जांच की है जहाँ तक संगत माना गया। कोई भी अनुरोध जो केवल पूर्व अनुरोध की पुनरावृत्ति थी और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पहले ही पर्याप्त जाँच की गई थी, उसे संक्षिप्तता रखने के लिए दोहराया नहीं गया है।
- थ. इस अंतिम जांच परिणाम विवरण में “****” चिह्न ऐसी सूचना को दर्शाता है जो किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई है और जिसे नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना गया है।
- द. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.82 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
- घरेलू उत्पादकों द्वारा वर्तमान में विनिर्मित एलएनजी मालसूचीण टैंक प्रौद्योगिकी, निष्पादन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के संदर्भ में कई बड़ी कमियों से ग्रस्त हैं।
 - भारत में विनिर्मित एलएनजी टैंक का 'होल्ड टाइम'—अर्थात् वह अवधि जिसके दौरान एलएनजी को बिना बाँयल-ऑफ के सुरक्षित रखा जा सकता है कम होता है —जिससे उत्पाद की हानि बढ़ती है और प्रचालन दक्षता घटती है।
 - ईंधन भरने की प्रक्रिया के दौरान टैंक के अंदर का दबाव अक्सर सुरक्षा सीमा से अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण एलएनजी को वायुमंडल में छोड़ना पड़ता है। इससे न केवल पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न होते हैं बल्कि वाहन मालिकों को वित्तीय हानि भी होती है।
 - घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में पर्याप्त उत्पाद रेंज का अभाव है, विशेषकर 200 लीटर से 1500 लीटर खंड में, जो विभिन्न वाहन प्लेटफार्मों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
 - यद्यपि घरेलू स्तर पर विनिर्मित एलएनजी टैंक पीईएसओ द्वारा प्रमाणित हैं, फिर भी वास्तविक क्षेत्रीय उपयोग में उनका निष्पादन अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में काफी कमतर है।

- vi. पीईएसओ की स्वीकृति केवल डिजाइन और सुरक्षा मापदंडों तक सीमित है और वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद निरंतर गुणवत्ता निगरानी या बैच-वार निष्पादन सत्यापन इसमें शामिल नहीं होता है।

ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
- i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा लिक्विफाइड नैचुरल गैस फ्यूल टैंक है।
 - ii. विचाराधीन उत्पाद तरलीकृत प्राकृतिक गैस (विशेषकर मीथेन गैस) के लिए एक दोहरी दीवार वाला क्रायोजेनिक मालसूचीण टैंक है। इसका उपयोग इसमें संग्रहीत तरल पदार्थों के तापमान को बनाए रखने के लिए किया जाता है।
 - iii. एलएनजी टैंक को विशेष रूप से अत्यधिक निम्न तापमान को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है, ताकि एलएनजी को ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सके और बॉयल-ऑफ गैस (वाष्पीकरण) को रोका जा सके।
 - iv. विचाराधीन उत्पाद के लिए पीईएसओ प्रमाणपत्र आवश्यक होता है। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित प्रत्येक टैंक का निरीक्षण पीईएसओ द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है और उसे अनुमोदित किया जाता है।
 - v. पीईएसओ प्रमाणन भारतीय कानून के अंतर्गत अनिवार्य है और यह गुणवत्ता तथा सुरक्षा के मानक के रूप में कार्य करता है। पीईएसओ उपकरण के डिजाइन, विनिर्माण प्रक्रियाओं और मालसूचीण सुविधाओं का मूल्यांकन करता है।
 - vi. पीईएसओ के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया में जाँच रिपोर्ट (अर्थात् मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त रिपोर्ट), तकनीकी विनिर्देशन (अर्थात् दबाव पात्रों या विस्फोट-रोधी उत्पादों जैसे उत्पादों के विस्तृत चित्र, सामग्री संरचना और सुरक्षा विशेषताएँ), कारखाना लाइसेंस और स्थल निरीक्षण के लिए सुविधा का लेआउट सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
 - vii. आवेदक के पास संबद्ध वस्तु के लिए आईएसओ 9001 और आईएटीएफ 16949 (ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) जैसे प्रमाणन हैं। ये प्रमाणन इस बात के साक्ष्य हैं कि आवेदक उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने और उसे प्राथमिकता देने का कार्य करता है।
 - viii. विभिन्न प्रयोक्ताओं ने संबद्ध वस्तु के लिए संतोषजनक निष्पादन प्रमाणपत्र प्रदान किए हैं।
 - ix. घरेलू उद्योग के उत्पाद को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग को प्रयोक्ताओं से विभिन्न प्रशंसा-पत्र प्राप्त हुए हैं।

- x. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ कार्य और उपयोग के संदर्भ में समान हैं, जिससे वे वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
- xi. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद को प्रतिवादी प्रयोक्ताओं को बेचा है। यह स्वीकार किया गया है कि कुछ ही अवसरों पर प्रयोक्ताओं ने उत्पाद के संबंध में समस्याएँ बताई हैं। चूँकि उत्पाद अभी नए चरण में हैं, इसलिए कुछ चुनौतियों की अपेक्षा की जाती है। घरेलू उद्योग इन्हें दूर करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।
- xii. घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु को निर्यात बाजार में भी बेचता है और प्रतिष्ठित एजेंसियों से आदेश प्राप्त किए हैं। यदि उत्पाद की गुणवत्ता इतनी खराब होती, तो घरेलू उद्योग निर्यात बाजार में टिक नहीं पाता।
- xiii. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए टैंक के अंदर का दबाव अक्सर सुरक्षा सीमा से अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण एलएनजी को वायुमंडल में छोड़ना पड़ता है—यह बताया गया है कि दबाव की यह समस्या केवल घरेलू उद्योग के लिए विशिष्ट नहीं है, बल्कि टैंक की प्रकृति के कारण यह सभी उत्पादकों पर समान रूप से लागू होती है।
- xiv. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त उत्पाद रेंज का अभाव है, घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान 200 लीटर से 990 लीटर तक के एलएनजी टैंक का निर्माण किया है, जिससे इस खंड में उसकी क्षमता स्थापित होती है।
- xv. प्रचलित गैस सिलेंडर नियम, 2016 के अंतर्गत अनुमोदित क्षमता 1,000 लीटर से कम तक सीमित है। तदनुसार, 1,000 लीटर से अधिक क्षमता के किसी भी उल्लेख को गलत माना जाएगा और यह एक भ्रामक दावा है।
- xvi. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ हैं, घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रयोक्ता ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और उसने लगातार केवल घरेलू उद्योग से ही खरीदारी की है। इसलिए वे घरेलू उद्योग के उत्पाद की गुणवत्ता की तुलना आयातित उत्पाद से नहीं कर सकते हैं।
- xvii. प्रयोक्ताओं ने आवेदक से बार-बार खरीदारी की है। इन दो कंपनियों द्वारा कोई भी टैंक वापस नहीं किया गया है। आगे यह भी स्वीकार किया गया है कि कुछ कंपनियों ने टैंक वापस किए हैं। तथापि, उन कंपनियों में से किसी ने भी प्राधिकारी के समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत नहीं की है।
- xviii. घरेलू उद्योग ने भागीदार प्रयोक्ता को 990 लीटर के *** टैंक बेचे हैं। घरेलू उद्योग यह समझता है कि *** टैंक लगभग 10 महीनों से संचालन में है और *** टैंक लगभग 7 महीनों से संचालन में हैं। घरेलू उद्योग को प्रयोक्ता से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

- xix. घरेलू उद्योग ने प्रतिवादी को 400 लीटर के *** टैंक भी बेचे हैं। यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि *** टैंकों के संबंध में प्रयोक्ताओं द्वारा कुछ चिंताएँ बताई गई थीं, परंतु यह चिंताएँ उन्हें प्रतिवादी को आपूर्ति किए जाने के 15 महीने बाद बताई गई थीं। तब भी घरेलू उद्योग ने उन्हें बदलकर ग्राहकों की सहायता की थी।
- xx. भारत में भी घरेलू उद्योग ने ओईएम से कई आदेश प्राप्त किए हैं और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए बड़ी संख्या में बसों के रूपांतरण हेतु एक संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- xxi. चूँकि उत्पाद अभी नए चरण में है, इसलिए कुछ चुनौतियों की अपेक्षा की जाती है। आवेदक इन्हें दूर करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।
- xxii. उपभोक्ताओं ने अतीत में आवेदक द्वारा बेचे गए टैंकों के संबंध में चिंताएँ बताई थीं। तथापि, आवेदक ने इन चिंताओं के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई की है।
- xxiii. आवेदक ने 700 दिनों से अधिक समय के बाद भी बड़ी संख्या में बताई गई चिंताओं का समाधान किया है।
- xxiv. एडवांटेक फ्यूल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदक से बार-बार खरीदारी की है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

6. विचाराधीन उत्पाद को 'लिक्विफाइड नैचुरल गैस फ्यूल टैंक' के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसे 'लिक्विड फ्यूल टैंक' या 'एलएफटी' के रूप में भी वर्णित किया जाता है।
7. लिक्विफाइड नैचुरल गैस फ्यूल टैंक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (विशेषकर मीथेन गैस) के लिए एक दोहरी दीवार वाला क्रायोजेनिक भंडारण टैंक होता है। आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए विचाराधीन उत्पाद के नमूना चित्र नीचे दिए गए हैं।



8. एलएनजी ईंधन टैंक का उपयोग उनमें संग्रहित तरल पदार्थों के तापमान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में, ये दोहरी दीवार वाले वैक्यूम सिलेंडर होते हैं जिनमें सुपर-इन्सुलेशन होता है और जिनका उपयोग उनके भीतर ईंधन को ले जाने के लिए किया जाता है, जो ट्रकों जैसे वाणिज्यिक

वाहनों में दहन के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके एक सिरे पर हीट एक्सचेंजर कॉइल होती है, जिसका उपयोग तरल ईंधन को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ताकि वह आसानी से इंजन तक पहुँच सके और दहन के लिए उपयोग किया जा सके। यह उत्पाद 16 बार से 24 बार के दबाव रेटिंग पर 200 लीटर से 990 लीटर तक की क्षमता में उपलब्ध होता है।

9. यह उत्पाद सीमाशुल्क कोड 7311 00 90 के अंतर्गत अध्याय 73 में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे के लिए किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
10. विचाराधीन उत्पाद की मांग 2021-2022 से बढ़ने लगी जब ट्रक कंपनियों ने भारत में एलएनजी गैस आधारित ट्रकों का निर्माण शुरू किया। इस उत्पाद की मांग अभी प्रारंभिक चरण में है, किंतु तेजी से बढ़ रही है। यह मांग 2021-2022 में *** ट्रकों से बढ़कर जांच अवधि के दौरान *** ट्रकों तक पहुँच गई।
11. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि एलएनजी ट्रकों की मांग 2023 में 1000 ट्रकों से बढ़कर 50,000 ट्रकों तक पहुँच जाएगी। ट्रकों की मांग में वृद्धि के साथ-साथ एलएनजी टैंकों की मांग भी बढ़ने वाली है।
12. एलएनजी ईंधन टैंक का उपयोग बड़े वाहनों जैसे ट्रकों और अन्य वाहनों में किया जाता है। इनका मुख्य उपयोग मीथेन गैस को संग्रहित करने और ले जाने के लिए होता है, जो वाहन के इंजन को शक्ति प्रदान करती है। इन पात्रों का उपयोग सड़क पर चलने वाले तथा ऑफ-रोड वाहनों के लिए ईंधन मालसूची के लिए किया जाता है। चूँकि ईंधन को तरल रूप में संग्रहित किया जाता है, इसलिए इंजन में उपयोग करने के लिए इसे गैसीय रूप में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। इस रूपांतरण का कार्य उत्पाद में स्थापित हीट एक्सचेंजर की सहायता से किया जाता है।
13. यह उत्पाद 16 बार से 24 बार के दबाव रेटिंग पर 200 लीटर से 990 लीटर तक की क्षमता में उपलब्ध होता है। 200 लीटर से 450 लीटर की क्षमता वाले एलएनजी टैंकों के मामले में उनका व्यास और मोटाई समान रहती है और केवल उनकी लंबाई में परिवर्तन होता है, जबकि 990 लीटर क्षमता वाले एलएफटी के मामले में लंबाई, व्यास और मोटाई तीनों में परिवर्तन होता है।
14. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को जाँच की शुरुआत की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पीयूसी और पीसीएन के दायरे पर अपनी अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था। 15 जनवरी 2025 को प्राधिकारी ने पीयूसी/पीसीएन पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाकर 21 जनवरी 2025 तक कर दी। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित और जाँच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित वही पीसीएन पद्धति अपनाई। वर्तमान जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है।

क्र.सं.	अपनाया गया पीसीएन	पीसीएन कोड
1	200 लीटर से 300 लीटर तक	ए
2	301 लीटर से 500 लीटर	बी

3	501 लीटर से 750 लीटर	सी
4	751 लीटर से अधिक	डी

15. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्कों का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित प्रत्येक उत्पाद को वैधानिक रूप से पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, जो कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात के लिए भी एक वैधानिक आवश्यकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में, जहाँ देश में एक नियामक प्राधिकरण मौजूद है जो उत्पाद की गुणवत्ता और विनिर्देशनों को नियंत्रित करता है और कोई भी पक्ष पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पाद को बेच नहीं सकता, वहाँ यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि पीईएसओ मानकों के अनुरूप और पीईएसओ द्वारा अनुमोदित उत्पाद की गुणवत्ता स्वीकार्य नहीं है।
16. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पीईएसओ प्रमाणन के लिए आवेदन प्रक्रिया में उपकरण के डिजाइन, विनिर्माण प्रक्रियाओं और मालसूचीण सुविधाओं का मूल्यांकन शामिल होता है। आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त लैब रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होती है, जो विस्तृत आरेखों, सामग्री संरचना तथा दबाव पात्रों या विस्फोट-रोधी उत्पादों जैसे उत्पादों की सुरक्षा विशेषताओं जैसे तकनीकी विनिर्देशनों का मूल्यांकन करती हैं, साथ ही कारखाना लाइसेंस और स्थल निरीक्षण के लिए सुविधा का लेआउट आदि भी प्रस्तुत करना होता है। इसलिए यह दावा करना कि पीईएसओ की स्वीकृति केवल डिजाइन और सुरक्षा मापदंडों तक सीमित है और वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद निरंतर गुणवत्ता की निगरानी इसमें शामिल नहीं होती, सही नहीं होगा।
17. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम जैसी विभिन्न कंपनियों, जिन्हें घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति की है, ने वास्तव में उत्पाद की गुणवत्ता की सराहना की है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद को भागीदार प्रयोक्ता को भी बेचा है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने अपने उत्पाद की गुणवत्ता की सराहना करने वाले प्रयोक्ताओं के साक्ष्य रिकॉर्ड में प्रस्तुत किए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पाद की गुणवत्ता आयातित उत्पाद के समतुल्य है।
18. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आकड़ों का विश्लेषण किया और यह नोट किया कि केवल एक हितबद्ध पक्षकार ने ही भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।
19. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया कि घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में पर्याप्त उत्पाद रेंज का अभाव है, इस संबंध में घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि उसने क्षति अवधि के दौरान 200 लीटर से 990 लीटर की रेंज में विचाराधीन उत्पाद का निर्माण और बिक्री की है। यह जांच अवधि और क्षति अवधि के दौरान उपभोग किए गए उत्पाद की पूरी रेंज को कवर करता है। इसलिए हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध में कोई आधार नहीं है।
20. अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विचाराधीन उत्पाद 'लिक्विफाइड नैचुरल गैस फ्यूल टैंक' है, जिसे 'लिक्विड फ्यूल टैंक' या 'एलएफटी' के रूप में भी वर्णित किया जाता है।

21. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशनों, तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देश से आयातित वस्तु के तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

23. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

क. आवेदक क्रायोजेनिक उपकरणों का एक प्रमुख निर्माता है। घरेलू उद्योग को क्रायोजेनिक परिस्थितियों के लिए उपकरणों और प्रणालियों के डिजाइन, अभियांत्रिकी, विनिर्माण और स्थापना के क्षेत्रों में समाधान प्रदान करने का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

ख. आवेदक के अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद का एक और उत्पादक है।

ग. इनाॅक्स इंडिया लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु के अधिकांश हिस्से का उत्पादन करता है।

घ. इनाॅक्स इंडिया लिमिटेड ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और न ही वह संबद्ध देश के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

24. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन इनाॅक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

25. नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की परिभाषा निम्नानुसार है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के

निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।"

26. आवेदक के अतिरिक्त, भारत में विचाराधीन उत्पाद का एक अन्य उत्पादक क्रायोगैस इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। प्राधिकारी ने अन्य उत्पादक को पत्र भेजा था, किंतु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।
27. इनाॅक्स इंडिया लिमिटेड ने प्रमाणित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के सौदा आधारित आकड़ों की जांच की और पाया कि इनाॅक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है।
28. प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ में पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

ड. विविध अनुरोध तथा गोपनीयता संबंधी टिप्पणियाँ

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:
 - i. वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोध पर 15 महीने की जांच अवधि अपनाई है। इसके लिए जो कारण बताया गया है वह केवल व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। प्राधिकारी को उन व्यावहारिक कठिनाइयों की जांच करनी चाहिए जिनके कारण घरेलू उद्योग ने 15 महीने को जांच अवधि के रूप में प्रस्तावित किया।
 - ii. यदि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है, तो यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग को यह निर्देश दिया जाए कि वह एक बाध्यकारी वचनबद्धता और गुणवत्ता आश्वासन गारंटी एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रदान करे, ताकि सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जा सके। इसमें संबद्ध वस्तु की निर्बाध और समयबद्ध आपूर्ति, निरंतर गुणवत्ता, निर्धारित मानकों का अनुपालन, समयबद्ध मरम्मत और प्रतिस्थापन तथा व्यावसायिक रूप से उचित शर्तों पर प्रभावी बिक्री-पश्चात समर्थन सुनिश्चित किया जाए।

ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

30. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:
 - i. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, जहाँ सामान्य जांच अवधि बारह महीने होती है, वहीं प्राधिकारी लिखित रूप में पर्याप्त कारण प्रदान किए जाने पर छह महीने से अठारह महीने तक की भिन्न अवधि की अनुमति दे सकते हैं।

- ii. वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत पूर्व-चरण के दौरान उचित जांच के बाद ही आवेदक के प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपनी तर्कसंगतता को जांच शुरूआत अधिसूचना में विधिवत रूप से दर्ज किया। अतः ऐसे आरोपों को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि वे निराधार हैं।
- iii. प्रयोक्ता उद्योग, ब्लू एनर्जी, ने अत्यंत अपूर्ण उत्तर प्रस्तुत किया है, अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं को अनुचित रूप से गोपनीय बताया है और व्यापार सूचना संख्या 08/2021 (“टीएन, 08/2021”) का पालन करने में विफल रहा है।
- iv. ब्लू एनर्जी ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद निम्न स्तर की गुणवत्ता का है। तथापि, यह कहा गया है कि प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए साक्ष्य गोपनीय रखे गए हैं। इससे घरेलू उद्योग को अपने हितों की रक्षा करने और कोई सार्थक टिप्पणी देने से रोका गया है।
- v. प्राधिकारी को व्यापार सूचना संख्या 08/2021 (“टीएन, 08/2021”) के प्रावधानों के अनुसार ब्लू एनर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर को अत्यंत अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार कर देना चाहिए।
- vi. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में आवेदक से बाध्यकारी वचनबद्धता और गुणवत्ता आश्वासन गारंटी अनिवार्य करने का अनुरोध किसी कानूनी आधार पर आधारित नहीं है।
- vii. गुणवत्ता, बिक्री-पश्चात सेवा, मरम्मत या प्रतिस्थापन से संबंधित मुद्दे मौजूदा वैधानिक विनियम तथा खरीदार और विक्रेता के बीच संविदात्मक व्यवस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। इन्हें पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की शर्त नहीं बनाया जा सकता है।

इ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पंद्रह माह की जांच अवधि को अपनाया उपयुक्त नहीं है। यह देखा गया है कि पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी सामान्यतः बारह माह की अवधि को मानक जांच अवधि के रूप में मानते हैं। तथापि, नियमावली प्राधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, छह माह से अधिक और अठारह माह से कम की जांच अवधि निर्धारित कर सकते हैं।
32. आगे यह भी नोट किया गया है कि कई पूर्व जांचों में प्राधिकारी ने प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर बारह माह से कम या अधिक अवधि को जांच अवधि के रूप में अपनाया है। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि जुलाई 2023 से जून 2024 तक की बारह माह की अवधि को अपनाने से लागत संबंधी आंकड़ों की तैयारी और सत्यापन में महत्वपूर्ण व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी स्पष्ट किया था कि पंद्रह माह की अवधि के दौरान आयात की मात्रा और कीमत उन परिस्थितियों के तुलनीय थे जो बारह माह की अवधि में होते, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आयात के प्रभाव का आकलन त्रुटिपूर्ण न हो।

33. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने न तो घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कारणों की सटीकता और न ही उन कारणों को, जिनके आधार पर प्राधिकारी ने पंद्रह माह की जांच अवधि अपनाई, को चुनौती दी है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने इसका भी कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया है कि 15 माह की जांच अवधि को अपनाना क्यों गलत या अनुचित है। प्राधिकारी यह देखते हैं कि चयनित अवधि आकड़ों की तैयारी और सत्यापन को सरल बनाती है, साथ ही संबंधित अवधि के दौरान आयात की तुलनीय मात्रा और कीमत को देखते हुए विश्लेषण में कोई विकृति या पक्षपात उत्पन्न नहीं करती है।
34. प्राधिकारी ने 12 माह और 15 माह की अवधि के दौरान आयात की मात्रा और कीमत की तुलना की, जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है। यह देखा गया कि यदि जांच अवधि के स्थान पर 12 माह की अवधि (जुलाई 2023 से जून 2024) को लिया जाता, तो तथ्यों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाई देता। आयात की पंधुच कीमत तुलनीय है और आयात में वृद्धि भी तुलनीय प्रवृत्ति दर्शाती है।

विवरण	यूओएम	जुलाई 23 से जून 24	अप्रैल 23 से जून 24	अप्रैल 23 से जून 24 (वा.)
आयात मात्रा	पीसीएस	287	387	310
आयात मूल्य	लाख रुपये	***	***	***
आयात कीमत	रु./नग	***	***	***

स्रोत – डीजी सिस्टम के आकड़े

35. प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि जांच अवधि के हिस्से के रूप में लेखा वर्ष को शामिल करना वांछनीय है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहाँ इसका विचार अन्यथा आकड़ों को विकृत नहीं करता। यह भी नोट किया गया है कि पंद्रह माह की जांच अवधि को अपनाने से जांच के परिणाम या किसी भी हितबद्ध पक्षकार समूह के वास्तविक हितों पर कोई पक्षपात या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान मामले में पंद्रह माह की जांच अवधि को अपनाना उचित है।
36. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया।
37. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय

में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

38. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी को गुणवत्ता आश्वासन और बिक्री-पश्चात सेवा के लिए बाध्यकारी वचनबद्धता अनिवार्य करनी चाहिए, यह अनुरोध किया गया कि व्यावसायिक उपक्रमों के लिए बाध्यकारी शर्त लगाने से संबंधित मामले वर्तमान जांच के दायरे से बाहर हैं।
39. घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता से संबंधित अनुरोधों की, संगत सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और तदनुसार समाधान किया गया। यह देखा गया कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, स्टॉक्स, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत से संबंधित जानकारी, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, पंहुच कीमत, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ से संबंधित जानकारी, बिक्री चैनल, बिक्री एवं खरीद दस्तावेज़, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि जैसी जानकारी के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया कि जहाँ जानकारी क्षति अवधि के लिए है, वह सूचीबद्ध आधार पर प्रदान की गई है। जहाँ जानकारी एक ही वर्ष के लिए है, यदि ऐसा खुलासा जानकारी की गोपनीयता से समझौता नहीं करता तो वह रेंज में बताई गई है। हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेज़ों और सूचनाओं के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है, जहाँ ऐसी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई थी। उन मामलों में, जहाँ किसी हितबद्ध पक्षकार ने अपने वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किए, उन्हें गोपनीय घोषित किया गया। जहाँ भी हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज़ को गोपनीय बताया, तो यह नोट किया गया कि ऐसे हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया कि इन दस्तावेज़ों का सारांश नहीं बनाया जा सकता और सारांश संभव नहीं होने के कारण बताया।
40. प्राधिकारी ने संगत रूप से सभी जांचों में घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई ऐसी जानकारी और दस्तावेज़ों पर हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीयता का दावा करने की अनुमति दी है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील जानकारी को गोपनीय बताया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ आवश्यक था गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. चीन जन गण में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री कीमत निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के साथ उचित लाभ और सामान्य व्यय को भी ध्यान में रखा है। इस पद्धति ने घरेलू उद्योग की अक्षमता को रेखांकित किया है और इस प्रकार उत्पादन लागत ने चीन के निर्यातकों की घरेलू बिक्री कीमत में पर्याप्त वृद्धि कर दी है।

च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

42. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. वर्तमान जांच में चीन के किसी भी उत्पादक ने भाग नहीं लिया। चीन से उत्पादकों की भागीदारी का अभाव इसलिए है क्योंकि वास्तविक निर्यात कीमत घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट की गई निर्यात कीमत से कम है।
- ii. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि चीन के उत्पादक के पक्ष में उनके असहयोग के कारण किसी भी प्रकार का अनुकूल परिणाम न प्रदान किया जाए।
- iii. चीन के उत्पादकों के पास अत्यंत कम कीमत वाली इस्पात सामग्री उपलब्ध है, जो विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत का 60-70% हिस्सा बनती है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

सामान्य मूल्य

43. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

ख) परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन

निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

44. चीन जन. गण. के मामले में, नियमावली के अनुबंध-1 में निम्नानुसार प्रावधान है:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित कीमत, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।”

8. (1) “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” से आशय ऐसे किसी भी देश से है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी इस रूप में निर्धारित करते हैं कि वह लागत या कीमत संरचनाओं के संदर्भ में बाजार सिद्धांतों के आधार पर संचालित नहीं होता है, जिससे ऐसे देश में वस्तुओं की बिक्री उस वस्तु के उचित कीमत को नहीं दर्शाती है, जैसा कि उप-पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों में दिया गया है।

(2) यह माना जाएगा कि कोई भी देश जिसे जांच से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया है या इस रूप में माना गया है, वह एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

परंतु, यह कि ऐसा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या उस देश की संबंधित फर्में इस मान्यता का खंडन कर सकती हैं, यदि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना और साक्ष्य प्रदान करें जिससे यह सिद्ध हो सके कि उप-पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर वह देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेंगे कि क्या—

(क) उस देश की संबंधित फर्मों द्वारा कीमत, लागत और इनपुट, जिनमें कच्ची सामग्री, प्रौद्योगिकी की लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्री तथा निवेश शामिल हैं, से संबंधित निर्णय आपूर्ति और मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों के आधार पर लिए जाते हैं और इस संबंध में राज्य का कोई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं है, तथा क्या प्रमुख इनपुट की लागतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं;

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेष रूप से परिसंपत्तियों के कीमतहास, अन्य राइट-ऑफ, वस्तु-विनिमय व्यापार तथा ऋणों के समायोजन के माध्यम से भुगतान के संबंध में, पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उत्पन्न महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन हैं;

(ग) ऐसी फर्मों दिवालियापन तथा संपत्ति संबंधी कानूनों के अधीन हैं या नहीं, जो फर्मों के संचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी प्रदान करते हैं; और

(घ) विनिमय दरों का रूपांतरण बाजार दर पर किया जाता है।

परंतु, यह कि जहाँ इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर पर्याप्त लिखित साक्ष्य द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है कि पाटनरोधी जाँच के अधीन एक या अधिक ऐसी फर्मों के लिए बाजार स्थितियाँ विद्यमान हैं, वहाँ निर्दिष्ट प्राधिकारी अनुच्छेद 7 और इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के स्थान पर अनुच्छेद 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

45. चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत कीमत की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत

प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

46. यह नोट किया गया कि यद्यपि अनुच्छेद 15 (क)(ii) का प्रावधान 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है, तथापि जब बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का दावा किया जाता है तो एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान, नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्दिष्ट मानदंड को पूरा करने में प्रदान की जाने वाली जानकारी/आकड़ों के माध्यम से पूरा करना आवश्यक है।
47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच में भाग नहीं लिया है जिससे नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित इस पूर्वधारणा का खंडन किया जा सके। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार आगे कार्रवाई करनी होगी।
48. यह नोट किया गया कि एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन की तीन पद्धतियाँ निर्धारित की गई हैं: (क) किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित कीमत के आधार पर; (ख) तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों, को निर्यात कीमत के आधार पर; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे यदि आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन सहित समायोजित किया गया हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों

के तहत, सामान्य मूल्य को किसी प्रतिनिधि देश में कीमत या परिकलित कीमत के आधार पर, उस देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर, या किसी अन्य उचित आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

49. आवेदन प्रस्तुत करने के चरण में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य भारत में वास्तव में भुगतान योग्य कीमत के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए, जिसमें भारत में उत्पादित समान उत्पाद के लिए उचित लाभ शामिल हो।
50. पहले और दूसरे तरीके के आधार पर सामान्य मूल्य के विचार के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई सूचना/साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया। अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य को तीसरे तरीके, अर्थात् किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर, परिकलित करने का निर्णय लिया। इसके तहत, सामान्य मूल्य भारत में वास्तव में भुगतान की गई कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत की ईष्टतम कीमत को लिया, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग किया गया।
51. चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के अनुसार देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ के लिए समायोजित किया गया। प्रत्येक पीसीएन के लिए अलग सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया और इसके बाद प्राधिकारी द्वारा पीयूसी के लिए एक सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

52. चीन जन गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की। चूँकि यह डेटा सीआईएफ शर्तों पर आधारित है, अतः कारखाना-द्वार स्तर पर पहुँचने के लिए पर्याप्त समायोजन किया गया। प्रत्येक पीसीएन के लिए निर्यात कीमत अलग से निर्धारित की गई है। निर्धारित भारत औसत कारखाना-द्वार निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।
53. ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

क्रसं	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य (अम.डा./ सं.)	निवल निर्यात कीमत (अम.डा./ सं.)	पाटन मार्जिन (अम.डा./ सं.)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
क.	चीन जन. गण.					
1.	कोई	***	***	***	***	50-60

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का जाँच

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

54. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. चीन से आयातित संबद्ध वस्तु ने मांग के रुझान जैसा व्यवहार किया है, अतः चीन से आयात मात्रा में वृद्धि को अलग से नहीं बल्कि मांग में वृद्धि और घरेलू उद्योग की वर्ष 2021-2022 में एक नई कंपनी के रूप में वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की स्थिति के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- ii. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और लागत के बीच का अंतर उस समय सबसे अधिक था जब आयात की पंहुच कीमत अधिकतम थी, और जब पंहुच कीमत कम थी, तब घरेलू बिक्री और लागत कीमत के बीच का अंतर कम था।
- iii. किसी भी व्यवसाय को बाजार में स्थापित होने और स्थापित कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समय लगता है, विशेषकर जब उत्पाद की लागत इतनी अधिक होती है।
- iv. पाटनरोधी शुल्क लगाने का आवेदन मुख्य रूप से लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित है, न कि वास्तविक बाजार चिंताओं से।
- v. निकट भविष्य में एलएनजी वाहन रूपांतरण की बाजार मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। यह आगामी मांग वृद्धि घरेलू विनिर्माताओं के लिए बेहतर आर्थिक निष्पादन लाएगी।
- vi. चीन में 1,000 से अधिक एलएनजी रिफ्यूलिंग स्टेशन संचालित हैं और लगभग 7,00,000 एलएनजी-संचालित वाहन तैनात किए गए हैं — यह स्तर भारत में वर्तमान अपनाने के स्तर से काफी अधिक है।
- vii. प्राधिकारी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि चीन ने अधिक उत्पादन की किफायतों के स्तर पर पंहुच गया है, वहां तकनीकी अंतर है, निजी क्षेत्र में निवेश, नवाचार और प्रगति हुई है। यह घरेलू उत्पाद को चीन के उत्पादों की तुलना में अप्रतिस्पर्धी बनाता है।
- viii. अधिक मात्रा में उत्पादन, स्वचालित निर्माण प्रक्रिया और दीर्घकालिक निवेश के कारण चीन के मूल के एलएनजी टैंकों की यूनिट कीमत तुलनात्मक रूप से कम है। प्रतिस्पर्धा को पाटन नहीं कहा जाना चाहिए।
- ix. घरेलू उद्योग के स्वीकारोक्ति के अनुसार, अनुमानित उत्पादन क्षमता केवल *** इकाइयाँ वार्षिक है। इतनी कम उत्पादन मात्रा प्रति-यूनिट लागत को बढ़ाती है।

- x. आवेदनकर्ता एक एकाधिकार बाजार में प्रचालन कर रहा है और अत्यधिक उच्च कीमत वसूल रहा है। 990-लीटर एलएनजी टैंक पहले ₹*** में आता था, जिसे संभवतः आयात के संभावित खतरे की प्रतिक्रिया में हाल ही में ₹*** जमा जीएसटी में संशोधित किया गया।
- xi. स्टॉक की कमी के कारण डिलीवरी समय सीमा दो महीने से अधिक है।
- xii. निकट भविष्य में एलएनजी वाहन रूपांतरण की बाजार मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। यह आगामी मांग वृद्धि घरेलू निर्माताओं के लिए बेहतर आर्थिक निष्पादन लाएगी।
- xiii. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित टैंक मुख्य रूप से मैनुअल निर्माण तकनीकों से बनाए जाते हैं, जिससे वैश्विक मानकों की तुलना में उत्पादन लागत काफी अधिक होती है।
- xiv. आयात केवल इसलिए बढ़े हैं क्योंकि घरेलू उत्पाद बाजार निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

55. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध दी हैं:

- i. घरेलू उद्योग के पास बढ़ी हुई मांग का प्रमुख हिस्सा पूरा करने के लिए पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता है। तथापि, चीन से पाटित आयात का लगातार प्रवाह इसकी उत्पादन क्षमता का पूरी तरह उपयोग करने की क्षमता को सीमित करता है।
- ii. 2022-2023 में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई। जांच अवधि के दौरान, संबद्ध देश से आयात में तेजी से वृद्धि हुई और उसी समय घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में कमी आई।
- iii. जांच अवधि में घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम रहा है।
- iv. संबद्ध देश से आयात में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग की मालसूची में तेजी से वृद्धि हुई।
- v. 2022-2023 में संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है और जांच अवधि में तेजी से और अधिक बढ़ गया।
- vi. पाटित आयात घरेलू उद्योग की लागत से कम कीमत पर बिक्री कर रहे हैं, जिससे घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत से कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ी है। जांच अवधि में कीमत कटौती नकारात्मक रही है।
- vii. 750 लीटर से अधिक क्षमता वाले एलएनजी टैंकों के लिए, घरेलू उद्योग को उत्पाद के आयात कीमत से समतुल्य कीमत रखनी पड़ी, जो कच्ची सामग्री की लागत से भी कम था। चीन के उत्पादक इतनी कम कीमत पर बेचने में सक्षम थे क्योंकि उनकी कच्ची सामग्री पर चीन की सरकार से भारी सब्सिडी प्राप्त थी।

- viii. वर्ष 2022-2023 तक घरेलू उद्योग लाभकारी था। जांच अवधि में, बिक्री की लागत बढ़ी, किंतु घरेलू उद्योग को आयात कीमत में गिरावट के कारण अपनी बिक्री कीमत कम करनी पड़ी।
- ix. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग घाटे में प्रचालन कर रहा था।
- x. पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव को इस दृष्टि से भी देखना अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट हुई। मांग बढ़ी किंतु घरेलू उद्योग की बिक्री उसी के अनुरूप नहीं बढ़ी। मांग में पूरी वृद्धि पर पाटित आयातों ने कब्जा कर लिया।
- xi. भारत में उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने ₹*** करोड़ के निवेश के साथ अपनी क्षमता बढ़ाने और नया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। यह इस आशा के साथ किया गया कि पाटनरोधी शुल्क लागू होंगे ताकि प्रतिस्पर्धा का समान स्तर सुनिश्चित हो सके।
- xii. संपूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता उनके द्वारा स्थापित क्षमता को देखते हुए बहुत कम रही है।
- xiii. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान नकद लाभ पर नकारात्मक आय, पीबीआईटी पर नकारात्मक आय और पूंजी पर नकारात्मक आय अर्जित की।
- xiv. जांच अवधि में घरेलू उद्योग ने सभी कीमत और विभिन्न मात्रा मानदंडों में के संबंध में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
- xv. घरेलू उद्योग के नकद लाभ में भी क्षति अवधि के दौरान तीव्र गिरावट हुई।
- xvi. पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि बहुत अधिक भी है।
- xvii. चीन जन गण के आयात के अलावा, अमेरिका से भी आयात हुआ। तथापि, अमेरिका से आयात नगण्य मात्रा में है और चीन के कीमतों की तुलना में बहुत अधिक कीमत पर हुए हैं।
- xviii. घरेलू उद्योग ने 990-लीटर टैंक की कीमत की जानकारी प्रदान की। यह देखा जा सकता है कि 990-लीटर टैंक की कीमत ₹*** या ₹*** जमा जीएसटी जैसी बिल्कुल नहीं है, जैसा कि प्रयोक्ताओं ने दावा किया है।
- xix. प्रयोक्ताओं का यह दावा कि डिलीवरी समय सीमा दो महीने से अधिक है क्योंकि मालसूची नहीं है, गलत है। घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता लगभग *** टैंक प्रति माह है। साथ ही, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची भी लगातार बढ़ती रही है।
- xx. चीन की प्रतिस्पर्धात्मकता, पैमाने की किफायतों, तकनीकी उन्नति और निजी क्षेत्र के निवेश, चीन सरकार द्वारा एलएनजी टैंक निर्माताओं को दी गई व्यापक सहायता के साथ किया गया है। सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता ने बाजार की परिस्थितियों को गंभीर रूप से विकृत किया है।

- xxi. विचाराधीन उत्पाद की कम कीमत का कारण यह भी है कि प्रमुख कच्ची सामग्री, अर्थात् स्टील, भारी सब्सिडी प्राप्त है। स्टील क्षेत्र को बुनियादी और मूलभूत उद्योगों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और यह 'प्रोत्साहित' उद्योगों का हिस्सा भी है।
- xxii. स्टील उत्पाद की उत्पादन लागत में 60-70% हिस्सेदारी रखता है। प्राधिकारी ने हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड आयात पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा में पाया कि चीन सरकार कानूनी रूप से इस्पात उद्योग पर सख्त नियंत्रण रखती है। प्राधिकारी ने लगभग 25% सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण किया। यह स्पष्ट है कि चीन के उत्पादकों के पास चीन सरकार के समर्थन के कारण कच्ची सामग्री की बहुत कम कीमत पर पहुंच है, जिससे वे विचाराधीन उत्पाद को इतनी कम कीमत पर निर्यात कर सकते हैं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

56. अनुबंध II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जाँच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, '.....जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव सहित....' सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जाँच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमतों में भारी कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी सीमा तक कम करने या कीमतों में ऐसी उल्लेखनीय वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।
57. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का संज्ञान लिया है और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण किया है।
58. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड गिरावट दर्शाएँ। कुछ मानक गिरावट दिखा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं दिखा सकते। प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों का मूल्यांकन करते हैं और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति के मानदंडों की वस्तुनिष्ठ रूप से जाँच की है।
59. इस अनुरोध के संबंध में कि चीन ने पैमाने की किफायत प्राप्त कर ली है और घरेलू उद्योग चीन के उत्पादों की तुलना में प्रतिस्पर्धी नहीं है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आंकड़ों की जाँच की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातित पीयूसी की पहुंच कीमत क्षतिरहित कीमत की गणना के लिए विचार की गई कच्ची सामग्री की लागत से भी कम है। इसलिए यह दावा कि चीन ने पैमाने की किफायत प्राप्त कर

ली है, सही नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री इस्पात है, और घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि इस पर चीन सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।

60. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग की अनुमानित उत्पादन क्षमता केवल *** इकाइयाँ प्रतिवर्ष है, प्राधिकारी ने आंकड़ों का सत्यापन किया है और यह पाया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता *** नग है, जिसे *** नग तक बढ़ाया जा सकता है (यदि मशीनरी तीन शिफ्ट में कार्य करे, जैसा कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2021-22 में किया था)। आगे यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने ₹ *** करोड़ के निवेश के साथ *** टैंक प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित करके अपनी क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई संख्या सही प्रतीत नहीं होती।
61. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग 990-लीटर टैंक के लिए ₹*** कीमत ले रहा था, जिसे हाल ही में ₹*** जमा जीएसटी कर दिया गया है, घरेलू उद्योग ने 990-लीटर टैंक के कीमत निर्धारण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की कीमत संरचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताई गई कीमत से काफी कम है। घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में इस उत्पाद को ₹*** की कीमत पर बेचा, जो कि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत से भी कम है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध स्वीकार नहीं किए गए सकते हैं।

छ.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/खपत का आकलन

62. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष उपभोग का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य उत्पादकों की अनुमानित बिक्री तथा सभी स्रोतों से एलएनजी टैंकों के आयात के योग के रूप में किया है।

क्रसं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	7,400	6,400	6,200
2	अन्य उत्पादकों की बिक्रियाँ	संख्या	***	***	***	***
3	संबद्ध देश से आयात	संख्या	-	12	110	310
4	अन्य देशों से आयात	संख्या	-	3	4	11
5	कुल मांग	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	10,100	18,000	38,560
6	भारत में क्षमता	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	100	100

63. यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 में उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई, जो आगे वर्ष 2022-23 तथा जांच अवधि में और अधिक बढ़ी है। क्षति अवधि के दौरान मांग लगातार बढ़ती रही है।
64. वर्तमान में विचाराधीन उत्पाद की मांग *** नग है। इस मांग के मुकाबले घरेलू उद्योग के पास *** टैंकों की क्षमता है, जिसे बढ़ाकर *** टैंक तक किया जा सकता है। उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने ₹ *** करोड़ के निवेश के साथ *** टैंक प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित कर अपनी क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है।

ख. समग्र तथा सापेक्ष रूप में आयात

65. क्षति अवधि तथा जांच अवधि के दौरान समग्र और सापेक्ष रूप में आयात की मात्रा संबंधी जानकारी निम्नानुसार है।

क्रसं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	संबद्ध देश से आयात	संख्या	-	12	110	310
2	अन्य आयात	संख्या	-	3	4	11
3	कुल आयात	संख्या	-	15	114	321
4	निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
ग	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	1,297	2,187
ख	मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	514	676
ग	कुल आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति			100	120	121

66. यह देखा गया है कि:

- क. संबद्ध देश से आयात वर्ष 2021-2022 में घरेलू बाजार में प्रवेश करना शुरू हुए, वर्ष 2022-2023 में बढ़े और जांच अवधि में तीव्र रूप से बढ़ गए।
- ख. संबद्ध देश से आयात भारतीय उत्पादन, भारतीय मांग और कुल आयात के संबंध में वर्ष 2021-2022 की तुलना में वर्ष 2022-2023 में बढ़े हैं और जांच अवधि में और अधिक बढ़ गए हैं।

छ.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

67. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित

आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी अधिक कम करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ सकती थी।

क. कीमत कटौती

68. कीमत कटौती का निर्धारण जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पंहुच कीमत के साथ करके किया गया है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देश से कीमत कटौती को दर्शाती है।

क्रसं	विवरण	यूओएम	औसत
1	पंहुच कीमत	₹/संख्या	***
2	निवल बिक्री प्राप्ति	₹/संख्या	***
3	कीमत कटौती	₹/संख्या	***
4	कीमत कटौती	%	नकारात्मक

69. यह देखा गया है कि जांच अवधि में संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से थोड़ी अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप मामूली नकारात्मक कीमत कटौती हुई है।
70. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि देश में बढ़ते आयातों को देखते हुए उसे अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि अपनी बिक्री बढ़ाने के प्रयोजनार्थ उसने उपभोक्ताओं को अपना उत्पाद आयात कीमत से भी कम कीमत पर प्रस्तावित किया।

ख. कीमत ह्रास/ कीमत न्यूनीकरण

71. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में काफी अधिक ह्रास करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो सामान्य परिस्थितियों में बढ़ सकती थीं, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना नीचे दी गई है।

क्रसं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	बिक्री लागत	₹/संख्या	***	***	***	***
	परिवर्तन	₹/संख्या		***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	118	127	141
2	बिक्री कीमत	₹/संख्या	***	***	***	***
	परिवर्तन	₹/संख्या		***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	75	76	63

72. यह देखा गया है कि वर्ष 2021-2022 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत प्रति नग ₹ *** बढ़ गई, जबकि बिक्री कीमत प्रति नग ₹ *** घट गई। वर्ष 2022-23 में बिक्री लागत प्रति नग ₹ *** और बढ़ गई, किंतु बिक्री कीमत केवल ₹ *** प्रति नग ही बढ़ी। बिक्री कीमत में वृद्धि की दर घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि की दर से कम रही है।
73. जांच अवधि में बिक्री लागत प्रति नग ₹ *** और बढ़ गई, जबकि बिक्री कीमत प्रति नग ₹ *** घट गई।
74. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान, यद्यपि बिक्री लागत प्रति नग ₹ *** बढ़ी, वहीं बिक्री कीमत प्रति नग ₹ *** घट गई। अर्थात् लागत बढ़ने के बावजूद कीमतों में गिरावट हुई।
75. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट हुई है।
76. नीचे दी गई तालिका में तुलनीय पीसीएन के लिए आयातों की पंहुच कीमत तथा घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत दर्शाई गई हैं।

क्रसं	विवरण	यूओएम	पीओआई
1	बिक्री लागत	₹/संख्या	***
2	निवल बिक्री कीमत	₹/संख्या	***
3	पंहुच कीमत	₹/संख्या	***

77. यह देखा गया है कि आयातों की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। आयातों की पंहुच कीमत बिक्री लागत से कम होने के कारण घरेलू उद्योग पर्याप्त लाभकारी कीमत वसूलने में असमर्थ रहा है। इसलिए, पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

78. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार, क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होनी चाहिए। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति से संबंधित सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि तथा पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों के संबंध में नीचे चर्चा की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

79. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है।

क्रसं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	स्थापित क्षमता	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	150	100	100
2	उत्पादन पीयूसी+एनपीयूसी	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	184	97	108
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	123	97	108
4	उत्पादन – पीयूसी	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	2,175	1,400	2,360
4	घरेलू बिक्रियाँ	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	7,400	6,400	6,200

80. यह देखा गया है कि: -

- क. आवेदक का संयंत्र केवल घरेलू समान उत्पाद के लिए समर्पित नहीं है और इसका उपयोग अन्य टैंकों के उत्पादन के लिए भी किया जाता है।
- ख. घरेलू उद्योग की क्षमता केवल वर्ष 2021-2022 को छोड़कर क्षति अवधि के दौरान समान बनी रही है। वर्ष 2021-2022 में, कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण ऑक्सीजन सिलेंडरों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने संयंत्र को तीन शिफ्ट में चलाकर अपनी क्षमता बढ़ाकर *** टैंक कर दी।
- ग. घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में घरेलू समान उत्पाद का उत्पादन प्रारंभ किया। वर्ष 2021-2022 में उत्पादन बढ़ा, वर्ष 2022-2023 में कम हुआ और जांच अवधि में इसमें पुनः वृद्धि हुई।
- घ. संपूर्ण क्षति अवधि के संदर्भ में देखा जाए तो घरेलू समान उत्पाद का उत्पादन बढ़ा है।
- ड. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई, किंतु वर्ष 2022-23 में ये कम हो गई और जांच अवधि में पुनः वृद्धि हुई।

च. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री वर्ष 2021-22 में बढ़ी, किंतु उसके बाद जांच अवधि तक घटती रही है।

ख. बाजार हिस्सा

81. इस अवधि के दौरान आयातों और भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से संबंधी जानकारी निम्नानुसार है।

क्रसं	निम्न का बाजार हिस्सा	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	73	36	16
2	अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	-	100	9	5
3	संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	-	100	514	676
4	अन्य देश से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	-	100	75	98

82. यह देखा गया है कि: -

क. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी क्षति अवधि के दौरान लगातार और महत्वपूर्ण रूप से घटती रही है।

ख. अन्य उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी वर्ष 2021-2022 को छोड़कर नगण्य रही।

ग. संबद्ध देश से आयातों की बाजार हिस्सेदारी पूरे क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ती रही।

घ. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों का मांग में सबसे अधिक और प्रमुख हिस्सा रहा।

ड. गैर-संबद्ध देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी नगण्य रही है।

च. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी लगातार घटती रही है और उसी समय संबद्ध देश से आयातों की बाजार हिस्सेदारी लगातार बढ़ती रही है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी ***% थी, जबकि आयातों की बाजार हिस्सेदारी ***% रही थी।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

83. लाभप्रदता, निवेश पर आय तथा नकद लाभ से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है।

क्रसं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	लाभ/(हानि)	₹/संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	39	34	(3)
2	लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	2,864	2,145	(192)
3	पीबीआईटी	₹/संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	39	33	(3)
4	पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	2,862	2,141	(187)
5	नकद लाभ	₹/संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	39	37	6
6	नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	2,857	2,336	348
7	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	146	29	(3)

84. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के लाभ क्षति अवधि के दौरान लगातार घटते रहे हैं। जांच अवधि में ये लाभ वित्तीय घाटों में परिवर्तित हो गए।
85. वर्ष 2022-2023 तक घरेलू उद्योग ने ब्याज से पूर्व लाभ, नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर सकारात्मक आय अर्जित की थी। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को ब्याज से पूर्व हानि हुई तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय प्राप्त हुई। यद्यपि नकद लाभ सकारात्मक रहा, फिर भी क्षति अवधि के दौरान इसमें ***% की कमी आई।

घ. मालसूची

86. मालसूची से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है।

क्रसं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	आरंभिक मालसूची	संख्या	***	***	***	***
2	अंतिम मालसूची	संख्या	***	***	***	***
3	औसत मालसूची	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	245	291	464

87. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

88. क्षति अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है।

क्रसं	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	124	152	229
2	वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	2,155	1,842	3,116
3	प्रतिदिन उत्पादकता	सं./दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	2,175	1,400	2,360
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	सं./कर्मचारी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	1,757	919	1,033

89. क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई। वेतन और मजदूरी में भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई। प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता बहुत ही कम बनी रही।

च. वृद्धि

90. वृद्धि से संबंधित जानकारी निम्नानुसार रही है:

क्रसं	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	पीओआई
1	क्षमता उपयोग	वाई/वाई	23%	-21%	12%
2	उत्पादन की मात्रा	वाई/वाई	2075%	-36%	111%
3	घरेलू बिक्री मात्रा	वाई/वाई	7300%	-14%	22%
4	प्रति इकाई लाभ/हानि	वाई/वाई	-61%	-13%	-109%
5	लाभ/हानि लाख रुपये में	वाई/वाई	2764%	-25%	-111%
6	प्रति मी टन रुपये में नकद लाभ	वाई/वाई	-61%	-5%	-85%
7	पीबीआईटी रु प्रति मी.टन	वाई/वाई	-61%	-14%	-109%

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग ने सभी कीमत मापदंडों के संदर्भ में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। यद्यपि उत्पादन और क्षमता उपयोग के संदर्भ में मात्रा संबंधी मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि उत्पाद की मांग में वृद्धि को देखते हुए बहुत कम रहा है।

छ. पाटन की मात्रा

92. पाटन की मात्रा उस मात्रा का संकेतक है जिसमें आयात भारत में पाटित हो रहे हैं। जांच से पता चलता है कि पाटन मार्जिन जांच अवधि में सकारात्मक और काफी अधिक है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

93. यह देखा गया कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय नकारात्मक रही थी। घरेलू उद्योग इस अवधि में घाटे में था। इसलिए, उत्पाद के पाटन ने पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित किया है। तथापि, उत्पाद की मांग में महत्वपूर्ण अनुमानित वृद्धि को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी जांच के प्रारंभ के बाद नए संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया है, जिसकी क्षमता *** टैंक प्रति वर्ष और निवेश राशि *** करोड़ रुपये है, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

झ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

94. आयात कीमत की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम है। चूंकि संबद्ध देश से आयात ने भारतीय बाजार में इस तरह की कीमतों पर प्रवेश किया कि घरेलू उद्योग अपनी कीमत में बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं कर पाया। यह तथ्य कि आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की लागत से कम कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं और घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण हानि झेली है, पाटित आयात का प्रतिकूल प्रभाव सिद्ध करता है। इसलिए, संबद्ध देश से आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

ञ. नकदी प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव

95. कम कीमत वाले आयातों ने घरेलू उद्योग को उत्पाद को पर्याप्त लाभकारी कीमत पर बेचने से रोका है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का नकद लाभ तेजी से घटा है। इसलिए, यह देखा गया कि उत्पाद के पाटन ने घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

ट. क्षति संबंधी निष्कर्ष

96. विचाराधीन उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से पता चलता है कि:
- क. संबद्ध देश से आयात में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष में संबद्ध देश से कोई आयात नहीं हुआ था, किंतु आयात 2021-22 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया और क्षति अवधि के दौरान तेजी से बढ़ा है।
- ख. आयातों में मात्रा में समग्र रूप से और उत्पादन तथा मांग के सापेक्ष वृद्धि हुई है।

- ग. कीमत कटौती नकारात्मक है। घरेलू उद्योग ने दावा किया कि देश में बढ़ते आयात को देखते हुए उसे अपनी कीमत घटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- घ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने बिक्री बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपने उत्पाद को आयात कीमत से कम कीमत पर उपभोक्ता को आफर किया।
- ङ. संबद्ध देश से आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी कीमत बढ़ाने में असमर्थ रहा। जबकि बिक्री लागत प्रति टैंक *** रुपये बढ़ी थी, बिक्री कीमत में *** रुपये प्रति एमटी की गिरावट आई।
- च. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग बढ़ा किंतु यह वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी।
- छ. अधिकांश मांग पाटित आयातों द्वारा पूरी की जा रही है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी कम हुई है।
- ज. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हानि हुई। घरेलू उद्योग ने ब्याज से पहले भी हानि झेली। वर्ष 2022-23 में प्रति टैंक *** रुपये का लाभ होने की स्थिति से, जांच अवधि में घरेलू उद्योग को प्रति टैंक *** की हानि हुई।
- झ. घरेलू उद्योग का नकदी लाभ तेजी से कम हुआ।
- ञ. पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम स्तर से ऊपर है।
- ट. पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
97. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ज. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

98. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की जाँच करनी अपेक्षित है कि पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य ज्ञात कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहा है या क्षति पहुँचाने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयात के साथ जोड़ा न जाए। इस बात की जाँच की गई है कि क्या नियमावली में सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दे सकते हैं।

क. गैर-संबद्ध देशों से आयात की मात्रा और कीमत

99. नीचे दी गई तालिका में तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत दर्शाई गई है।

क्रसं	देश	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वा.)
1	गैर-संबद्ध देशों से	संख्या	-	3	4	11

	आयात की मात्रा					
2	आयात कीमत	₹/संख्या	-	***	***	***

100. यह देखा गया कि अन्य देशों से आयात की मात्रा बहुत कम है और जिस कीमत पर आयात हो रहा है वह संबद्ध देश की तुलना में अधिक है तथा यह गैर-क्षतिकारी है।

ख. मांग में संकुचन और/या खपत की प्रवृत्ति में बदलाव

101. क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ी है। भविष्य में मांग और अधिक बढ़ने की संभावना है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा मौजूद नहीं है।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ङ. निर्यात निष्पादन

104. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू संचालन के लिए क्षति संबंधी आकड़ों पर अलग से विचार किया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

105. प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन से संबंधित आकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे अन्य ज्ञात कारकों, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते थे, का गैर-आरोपण विश्लेषण में पूरी तरह से मूल्यांकन किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचाई। निम्नलिखित तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि क्षति पाटन के कारण हुई है:

क. संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं।

ख. उत्पाद की पाटन के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है।

- ग. उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और पूंजी पर आय घट गई है। घरेलू उद्योग को हानि, ब्याज से पहले हानि और नकद लाभ में तीव्र गिरावट झेलनी पड़ी।
- घ. संबद्ध देशों से आयात बढ़े हैं क्योंकि वे पाटित कीमतों पर हुए हैं। ये आयात घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा छीन ले गए हैं, जो अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में असमर्थ रहा।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

107. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली के सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए उत्पादन लागत से संबंधित जानकारी/आकड़ों का प्रयोग करके निर्धारित की गई है। क्षतिरहित कीमत की तुलना संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद की पंहुच कीमत से की गई ताकि क्षति मार्जिन की गणना की जा सके। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग तथा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय और/या संपत्तियों को उत्पादन लागत और/या क्षतिरहित कीमत से बाहर रखा गया है। उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात्, औसत स्थिर परिसंपत्तियों जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर (22% की दर से कर-पूर्व) की तर्कसंगत आय पर ब्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए अनुमति दी गई है ताकि नियमावली के अनुबंध III के अनुसार यथा विहित क्षतिरहित कीमत निर्धारित की जा सके।

क्षति मार्जिन तालिका

क्रसं	उत्पादक का नाम	एनआईपी (अम.डा. /संख्या)	पंहुच कीमत (अम.डा. /संख्या)	क्षति मार्जिन (अम.डा. /संख्या)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
क.	चीन जन. गण.					
1.	कोई	***	***	***	***	40-50%

ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

108. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- आयात के लिए पहले से ही एक नियामक उपाय मौजूद है। किसी अतिरिक्त नियामक उपाय के रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाना आयातकों/प्रयोक्ताओं और अंतिम उपभोक्ताओं के हितों में बाधा डालेगा।
 - संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पहले से ही 10% का मूल सीमा शुल्क लागू है। यदि पाटनरोधी शुल्क के रूप में कोई और शुल्क लगाया गया, तो यह डाउनस्ट्रीम बाजार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

- iii. वाहन को डीज़ल से एलएनजी में रूपांतरित करने में निवेश पर आयस आम तौर पर दो वर्षों से अधिक होती है। इससे फ़्लीट ऑपरेटर्स के लिए रूपांतरण वाणिज्यिक रूप से आकर्षक नहीं होता। पाटनरोधी शुल्क के रूप में कोई अतिरिक्त लागत मांग को कम कर देगी।
- iv. आयातित एलएनजी फ़्यूल टैंकों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से रेट्रोफिटर्स के लिए कीमत में 20%–25% से अधिक की वृद्धि हो जाएगी।
- v. एलएनजी रेट्रोफिटर्स की आर्थिक व्यवहार्यता की कमी एक महत्वपूर्ण कारक है और क्षति, बाजार संभावनाओं या घरेलू उद्योग की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते समय इसे उचित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- vi. चीन से आयात भारतीय बिल्कुल आरंभिक एलएनजी पारिस्थितिकी तंत्र पर अनाशयित प्रभाव डाल सकता है क्योंकि वर्तमान में घरेलू रूप से विनिर्मित एलएनजी टैंकों की कीमत संरचना नए वाहनों के निर्माण और डीज़ल से एलएनजी रेट्रोफिट दोनों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।
- vii. रेट्रोफिटर्स आम तौर पर डीज़ल वाहनों को एलएनजी में रूपांतरित करने के लिए ₹12.00 लाख से ₹18.00 लाख (जीएसटी को छोड़कर) चार्ज करते हैं, जिसमें एलएनजी फ़्यूल टैंक की लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस महत्वपूर्ण घटक की लागत में कोई वृद्धि रेट्रोफिटिंग व्यवसाय को वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य बना देगी।
- viii. पाटनरोधी शुल्क से रेट्रोफिटर्स पर ओईएम्स की तुलना में असमान प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) टैंक की लागत को लगभग ₹*** लाख प्रति यूनिट तक बढ़ा सकता है। इससे रेट्रोफिटिंग व्यवसाय पूरी तरह से अव्यवहार्य हो जाएगा।
- ix. इस प्रारंभिक बाजार विकास चरण में, एलएनजी टैंकों पर एडीडी लगाना असमय और प्रतिकूल होगा क्योंकि यह बाजार पहुंच को बाधित करेगा, लागत बढ़ाएगा और विकास को सीमित करेगा।
- x. एलएनजी फ़्यूल टैंक किसी वाणिज्यिक वाहन के एलएनजी रेट्रोफिटिंग लागत का लगभग 40–50% बनता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक वाहन पर ₹*** की वृद्धि होगी और निवेश पर आय में एक वर्ष की वृद्धि होगी, जिससे परियोजना की व्यवहार्यता गंभीर रूप से प्रभावित होगी।
- xi. फ़्लीट ऑपरेटर इस अत्यधिक अग्रिम लागत को केवल 15 वर्षीय एलएनजी टैंक के जीवनकाल पर वसूलने के लिए वहन करने के लिए तैयार नहीं होंगे।
- xii. ओईएम्स जैसे ब्लू एनर्जी, जिन्होंने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया, भारतीय बाजार में एलएनजी ट्रक सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने में सक्षम रहे। जबकि जिन कंपनियों ने केवल घरेलू रूप से विनिर्मित एलएनजी टैंकों पर भरोसा किया, उन्हें वित्तीय नुकसान, बार-बार परियोजना विफलताएँ और कई मामलों में लगातार निष्पादन संबंधी समस्याओं के कारण एलएनजी रूपांतरण परियोजना बंद करनी पड़ी।

ज.2. घरेलू उद्योग का अनुरोध

109. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. यदि पाटनरोधी शुल्क का डाउनस्ट्रीम उद्योग, ट्रक ड्राइवर और अंतिम उपभोक्ता पर कोई प्रभाव पड़ता भी है, तो वह प्रभाव नगण्य है।
- ii. ट्रक निर्माताओं पर प्रभाव लगभग 3% से 6% के आसपास है।
- iii. एक ट्रक ड्राइवर के लिए, यद्यपि लागत में वृद्धि प्रति वर्ष ₹*** है, जो प्रति किमी. 0.22 रु. बनती है। इससे प्रति किमी. चलाने की लागत ₹35 पर 0.61% बढ़ेगी। उसी समय, यदि वे एलएनजी में परिवर्तन करते हैं, तो वे लगभग ₹*** प्रति वर्ष की बचत करेंगे।
- iv. यदि ट्रक ड्राइवर अपनी कीमत बढ़ाये भी तो भी प्रति किमी. कीमत में वृद्धि ₹50 प्रति किमी. पर, केवल 0.22 रु. प्रति किमी. होगी, जो 0.43% है।
- v. पाटनरोधी शुल्क का प्रति किलोमीटर प्रभाव 0.43% है। यह प्रभाव ट्रक ड्राइवर की बचत और स्क्रेप बिक्री से आय को ध्यान में नहीं रखता है। यदि ये शामिल किए जाएँ, तो प्रभाव नकारात्मक होगा।
- vi. 450-लीटर एलएनजी टैंक के लिए आवेदक की बिक्री कीमत ₹*** प्रति यूनिट है। रेट्रोफिटर्स की अपनी ही स्वीकारोक्ति के अनुसार ₹*** की वृद्धि केवल एक वर्ष के लिए आरओआई को बढ़ाएगी, जिससे उनका उच्च मार्जिन स्पष्ट होता है; तब भी आय लगभग 50% रहती है, जो आवेदक के 22% के आरओसीई से काफी अधिक है।
- vii. फ्लूटि ऑपरेटर पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव केवल ₹0.22 प्रति किमी. होगा। यद्यपि स्वीकृत रूप से अग्रिम लागत में वृद्धि होती है, तथापि यह कुल लागत का केवल 6% है। अतिरिक्त भुगतान किया गया पाटनरोधी शुल्क एक वर्ष में लागत बचत के माध्यम से वसूल हो जाएगा।
- viii. रेट्रोफिटिंग एक सेवा-उन्मुख गतिविधि है और मुख्य रूप से इंस्टॉलेशन से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। रेट्रोफिटिंग उद्योग लागत में वृद्धि को आगे बढ़ा देगा। इसलिए, किसी एक घटक (अर्थात् एलएनजी टैंक) की कीमत में बदलाव उनके संचालन की व्यवहार्यता को प्रभावित नहीं कर सकता है।
- ix. इस अनुरोध पर कि ब्लू एनर्जी जैसे ओईएम ने आयातित टैंकों के साथ एलएनजी ट्रक सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए जबकि घरेलू रूप से खरीदी गई कंपनियों ने नुकसान झेले, घरेलू उद्योग ने बताया कि ब्लू एनर्जी ने न केवल संबद्ध वस्तुओं का आयात किया बल्कि आवेदक से भी उन्हें खरीदा और क्षति अवधि के दौरान कोई आय प्राप्त नहीं की। वास्तव में, ब्लू एनर्जी ने गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत नहीं दर्ज की है।

- x. भागीदार हितबद्ध पक्षकारों ने भी एक भी टैंक वापस नहीं किया। यह दर्शाता है कि अन्य कंपनियों के बीच, ये दोनों कंपनियाँ, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए टैंकों को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सक्षम हैं।

घरेलू उद्योग के अनुरोध अनुसार डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का अनुमानित प्रभाव

110. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ट्रक निर्माताओं पर पाटनरोधी शुल्क (यदि लगाया गया) का प्रभाव ओईएम्स के लिए संपत्ति के जीवनकाल में 3% से 6% होगा।

क्रसं	विवरण	यूओएम	टाटा प्राइमा	ब्लू एनर्जी
1	ट्रक की लागत	रुपये	***	***
2	पाटनरोधी शुल्क के कारण लागत में वृद्धि	रुपये	***	***
3	प्रभाव	%	3%	6%

111. घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त रूप से दावा किया कि डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव प्रति वर्ष *** रुपये होगा। घरेलू उद्योग ने इस संबंध में जानकारी निम्नलिखित रूप में प्रदान की है,

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मान
1	अतिरिक्त लागत	रुपये	2,06,426
2	LNG फ्यूल टैंक की औसत उपयोगी आयु	वर्ष	10
3	प्रति वर्ष अतिरिक्त लागत	रुपये	20,643
4	प्रति वर्ष औसत चलन (रनिंग)	किमी	96,000
5	प्रति किमी प्रभाव	रुपये	0.22
6	प्रति किमी चलने की लागत	रुपये	35
7	लागत में वृद्धि	प्रतिशत	0.61%
8	प्रति किमी लिया जाने वाला मूल्य	रुपये	50
9	प्रति वर्ष लागत में वृद्धि	रुपये	20,643

ब.3. प्राधिकारी द्वारा जॉच

112. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगी। यह निर्धारण रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी और विभिन्न पक्षकारों जैसे घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादक और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर किया गया।

113. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनमें आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार शामिल हैं, से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए प्रश्नावली भी निर्धारित की ताकि वे वर्तमान जांच के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकें, जिसमें पाटनरोधी शुल्क के उनके प्रचालन पर संभावित प्रभाव शामिल हैं। प्राधिकारी ने विभिन्न देशों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, स्रोत बदलने की क्षमता, और उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में जानकारी मांगी।
114. यह नोट किया गया है कि सामान्य रूप से पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबंधित उत्पाद और भारत में इस उत्पाद का उपयोग करके विनिर्मित अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के जारी रहने से घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी, जो संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयात के कारण और अधिक हो सकती थी, और संबंधित उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
115. प्राधिकारी ने इस जाँच में सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए एक आर्थिक हित संबंधी प्रश्नावली विहित की। घरेलू उद्योग के अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।
116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थिति संबद्ध देश से आयात के कारण संवेदनशील है। घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान घाटा उठा रहा था। आयात की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत से भी कम थी। इसलिए, यह माना गया कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपायों को लागू करने के लाभ होंगे।
117. प्राधिकारी यह भी अवलोकन करते हैं कि रेट्रोफिटर्स वे इकाइयाँ हैं जो मौजूदा डीज़ल या गैसोलीन-चालित ट्रकों को इलेक्ट्रिक या एलएनजी-आधारित वाहनों में परिवर्तित करती हैं। उनका मुख्य कार्य मूल वाहन विन्यास में संशोधन करना है, जिसमें कुछ घटकों को वैकल्पिक ईंधन संचालन के लिए उपयुक्त नए सिस्टम से बदलना शामिल है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि रेट्रोफिटर्स का कार्य मुख्य रूप से सेवा-उन्मुख प्रकृति का है। वे मुख्य रूप से घटकों की स्थापना और एकीकरण में कार्यरत हैं और ऐसे कलपुर्जों के निर्माण या व्यापार में कार्यरत नहीं हैं। सामान्यतः, रेट्रोफिटर आवश्यक घटक खुले बाजार से खरीदता है और केवल निर्दिष्ट वाहन पर स्थापना और रूपांतरण का कार्य करता है। इस संदर्भ में, रेट्रोफिटर किसी भी अतिरिक्त लागत, जिसमें टैंक की कीमत में वृद्धि शामिल है, को अंतिम ग्राहक या परिवर्तित वाहन के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता पर आगे बढ़ा सकता है। तदनुसार, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से रेट्रोफिटर्स की वाणिज्यिक या प्रचालन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
118. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि यदि उत्पाद की कीमत *** रुपये बढ़ती है तो निवेश पर आय एक वर्ष बढ़ जाएगी और ट्रक का औसत उपयोगी जीवन 15 वर्ष है,

प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह उत्पाद पूंजीगत वस्तु है और यह नियोजित पूंजी पर समय के साथ लाभ प्रदान करने के लिए है। इस मामले में, संबंधित पक्षकारों की अपनी ही स्वीकारोक्ति के अनुसार, उत्पाद की लागत में *** रुपये की वृद्धि होने पर निवेश पर आय केवल एक वर्ष बढ़ेगी। यह दर्शाता है कि हितबद्ध पक्षकार संपत्ति के शेष जीवनकाल में पर्याप्त और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य लाभ मार्जिन अर्जित करते रहेंगे।

119. इस अनुरोध पर कि ब्लू एनर्जी ने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया और इसलिए भारतीय बाजार में एलएनजी ट्रक सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए गए, यह देखा गया कि ब्लू एनर्जी ने न केवल संबद्ध वस्तुएँ आयात कीं बल्कि घरेलू उद्योग से भी उन्हें खरीदा है। ब्लू एनर्जी ने एक पूंजीकृत हितबद्ध पक्षकार होने के नाते उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। इसलिए, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ब्लू एनर्जी की ओर से किए गए कोई भी अनुरोध उचित नहीं हैं।
120. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने उत्पाद नवाचार में पर्याप्त निवेश नहीं किया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद विकास के चरण में है। उत्पाद की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग ने बताया है कि उसने *** टैंक प्रति वर्ष क्षमता वाले नए संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया है, जिसमें *** करोड़ रुपये का निवेश होगा।

ब.4 डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर अनुमानित प्रभाव

121. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध का विश्लेषण किया गया। शुल्क राशि प्रति एलएफटी यूनिट पर *** डालर अनुमानित शुल्क के रूप से आकलित की गई। इसके अलावा, ट्रक लागत और अनुमानित शुल्क राशि को 15% मूल्यह्रास दर (आय कर अधिनियम के अनुसार मोटर वाहनों की मूल्यह्रास दर) के अनुसार लिखित कीमत विधि के तहत अंशशोधित किया गया। विश्लेषण के आधार पर यह देखा गया है कि ट्रक प्रचालन लागत पर अतिरिक्त शुल्क (एडीडी) का प्रभाव प्रति किलोमीटर ट्रक की परिशोधित कीमत का लगभग *** रहता है, जबकि इसका पूर्ण प्रभाव समय के साथ धीरे-धीरे कम होता जाता है। पहले वर्ष में, एडीडी प्रति किलोमीटर ₹0.28 योग करता है, जो मूल प्रचालन लागत ₹35/किलोमीटर पर 0.80% की वृद्धि है। दसवें वर्ष तक, यह प्रभाव केवल 0.06 रुपये प्रति किलोमीटर रह जाता है, जिससे लागत में केवल 0.19% की वृद्धि होती है। यह गिरावट इसलिए होती है क्योंकि शुल्क प्रभाव और परिशोधन कीमत दोनों ट्रक की घटती लागत के अनुसार कम होते हैं, जबकि वार्षिक औसत दूरी 96,000 किलोमीटर स्थिर रहती है। कुल मिलाकर, एडीडी प्रचालन व्यय पर नगण्य प्रभाव डालता है, और समय के साथ इसका प्रभाव घटता है, जिससे यह प्रति किलोमीटर लागत में आधार प्रचालन लागत की तुलना में अपेक्षाकृत मामूली प्रभाव डालता है।

वर्ष	एक ट्रक की लागत (राशि ₹ में)	शुल्क (राशि ₹ में)	15% की दर से लिखित मूल्य पद्धति से ट्रक का परिशोधन	15% की दर पर प्रतिवर्ष एडीडी परिशोधन	आस्ति के जीवनकाल में एडीडी	एडीडी की परिशोधन लागत का प्रतिवर्ष	प्रति वर्ष औसत प्रचालन (किमी. में)	प्रति किमी. प्रभाव (राशि)	प्रति किमी प्रचालन लागत (राशि ₹ में)	प्रति किमी. लागत में वृद्धि (%में)
------	------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

			(राशि ₹ में)	प्रभाव (राशि ₹ में)	का कुल प्रभाव (%)	प्रभाव (राशि ₹ में)		₹ में)		
1	60,00,000	***	***	***	***	***	96,000	0.28	35	0.80%
2	51,00,000	***	***	***	***	***	96,000	0.24	35	0.68%
3	43,35,000	***	***	***	***	***	96,000	0.20	35	0.58%
4	36,84,750	***	***	***	***	***	96,000	0.17	35	0.49%
5	31,32,038	***	***	***	***	***	96,000	0.15	35	0.42%
6	26,62,232	***	***	***	***	***	96,000	0.12	35	0.35%
7	22,62,897	***	***	***	***	***	96,000	0.11	35	0.30%
8	19,23,463	***	***	***	***	***	96,000	0.09	35	0.26%
9	16,34,943	***	***	***	***	***	96,000	0.08	35	0.22%
10	13,89,702	***	***	***	***	***	96,000	0.06	35	0.19%

ट. प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियाँ:

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध:

122. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

ट.2 घरेलू उद्योग का अनुरोध:

123. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि:

1. प्राधिकरण ने पाया है कि संबद्ध देश से आयात पाटन और हानिकारक कीमतों पर हो रहे हैं। पाटन आयात के कारण घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में तीव्र गिरावट आई है।
2. डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।
3. बढ़ती मांग को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने *** करोड़ रुपये के निवेश से *** टैंकों की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। भविष्य में मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं रहेगा, और डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को आयात पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
4. इस तथ्य को देखते हुए कि उत्पाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है और डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, 5 वर्षों की अवधि के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है।
5. विभिन्न प्रकार के टैंकों की लागत और कीमत में काफी उतार-चढ़ाव होने के कारण, मूल्य-आधारित शुल्क का रूप सबसे उपयुक्त पाटन-रोधी शुल्क है।

ट.3 प्राधिकरण द्वारा जांच:

प्राधिकरण ने पाया है कि प्रस्तुतियाँ पहले ही प्रकटीकरण विवरण में संबोधित की जा चुकी हैं। उपरोक्त निष्कर्ष स्वतः ही संबंधित पक्षों के इन तर्कों का समाधान करते हैं।

ठ. निष्कर्ष

124. उक्त जाँच परिणाम में यथा दर्ज हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदान की गई जानकारी, किए गए अनुरोध और प्राधिकारी के सामने उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और घरेलू उद्योग पर पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के किए गए उक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:
- क. विचाराधीन उत्पाद 'लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल टैंक (एलएफटी)' है, जिसे 'लिक्विड फ्यूल टैंक' या 'एलएफटी' के रूप में भी वर्णित किया गया है।
- ख. उत्पाद की क्षमता 200 लीटर से 990 लीटर तक होती है, और दबाव रेटिंग 16 बार से 24 बार तक होती है। एलएनजी टैंकों की व्यास और मोटाई 200 लीटर से 450 लीटर तक समान रहती है, केवल उनकी लंबाई बदलती है, जबकि 990 लीटर क्षमता वाले एलएफटी में लंबाई, व्यास और मोटाई सभी बदलते हैं।
- ग. यह उत्पाद सीमाशुल्क कोड 7311 00 90 के तहत अध्याय 73 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- घ. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद को भागीदार प्रयोक्ताओं को बेचा है।
- ङ. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए कि उसने 200 लीटर से 990 लीटर की रेंज में विचाराधीन उत्पाद का निर्माण और बिक्री की है, जो क्षति अवधि के दौरान पूरी उत्पाद श्रृंखला को कवर करता है।
- च. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार एक दूसरे के समान वस्तु हैं।
- छ. आवेदक के अलावा भारत में संबद्ध उत्पाद का एक अन्य निर्माता है, जिसका नाम क्रायोगैस इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है।
- ज. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- झ. आवेदक, नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करता है।
- ञ. वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (15 महीने) की है, और क्षति जांच अवधि अप्रैल 2020 से मार्च 2021, अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 और जांच अवधि को शामिल करती है।
- ट. नियम 5(3क) के अंतर्गत, प्राधिकारी ने 15 महीने की जांच अवधि पर विचार करने के लिए पर्याप्त तर्काधार जाँच शुरूआत अधिसूचना में प्रदान किए हैं।

- ड. आवेदन में पाटनरोधी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ सभी संगत जानकारी और नियमावली के नियम 5(2) के अनुसार आवश्यक साक्ष्य शामिल थे जो नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार पाटन और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के निर्धारण के लिए वर्तमान जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।
- ड. चीन जन गण से किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 में यथा उल्लिखित गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की पूर्वधारणा का खंडन करने के लिए वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया। इसलिए, चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।
- ण. चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य प्रत्येक पीसीएन के आधार पर अलग-अलग भारत में उत्पादन लागत के अनुसार, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ को समायोजित करके भारत में देय कीमत के आधार पर परिकलित करके निर्धारित किया गया।
- त. चीन जन गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से सहयोग नहीं मिलने के कारण, प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत डीजी सिस्टम के आकड़ों के आधार पर निर्धारित की है। चूंकि यह आकड़े सीआईएफ की स्थिति में हैं, इसलिए कारखाना-द्वार स्तर ज्ञात करने के लिए पर्याप्त समायोजन किए गए हैं। प्रत्येक पीसीएन के लिए निर्यात कीमत अलग-अलग निर्धारित की गई और भारत औरसत कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है।
- थ. चीन जन गण के उत्पादक/निर्यातक के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।
- द. विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ध. संबद्ध देश से आयात क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़े हैं, और यह बढ़ोतरी समग्र और सापेक्ष दोनों रूप में हुई है।
- न. जांच अवधि में संबद्ध आयात की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से थोड़ी अधिक है, जिससे मामूली नकारात्मक कीमत कटौती हुई है।
- फ. आयात की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। बिक्री लागत से कम आयात पंहुच कीमत ने घरेलू उद्योग को उचित लाभकारी कीमतें निर्धारित करने में रोका है।
- ब. घरेलू उद्योग की क्षमता केवल 2021-2022 को छोड़कर क्षति अवधि के दौरान एकसमान रही है।
- भ. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान लगातार कम हुआ। इसी समय, संबद्ध देश से आयात ने जांच अवधि के दौरान मांग में प्रमुख हिस्सा बना लिया। गैर-संबद्ध देशों से आयात का बाजार हिस्सा नगण्य रहा है।
- म. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में घाटा उठाया। घरेलू उद्योग को ब्याज से पहले भी नुकसान हुआ।

य. घरेलू उद्योग अन्य कारकों के कारण नुकसान नहीं हुआ। घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण हुई।

कक. क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई थी।

खख. चीन जन गण के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

गग. डाउनस्ट्रीम उत्पादकों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

घघ. पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करेगा कि आयात भारतीय बाजार में उचित कीमतों पर प्रवेश करें और विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर वाली प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

डड. पाटनरोधी शुल्क को लागू करना व्यापक सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा।

ड. सिफारिशें

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई और सभी संभावित हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में सकारात्मक जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू करने और संचालन करने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है। अतः, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यकत समझते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं।
126. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कालम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्रसं	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ के % रुप में शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	73110090*	लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल टैंक	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	कोई	45%
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. से इतर कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	45%

*सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

127. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पंहुच मूल्य, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 88, 9 और 9क के तहत लगाए जाने वाले शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

ड. आगे की कार्रवाई

128. इस अंतिम जाँच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2026

(Final Findings)

CASE NO. AD (OI)-40/2024

Subject: Final Findings in the anti-dumping investigation on imports of ‘Liquified Natural Gas Fuel Tank (LFT)’ originating in or exported from China PR.

F. No. 6/43/2024-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Anti-Dumping Rules” or “the Rules”);

A. BACKGROUND OF THE CASE.

1. Whereas, M/s Inox Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’) filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-dumping Rules for initiation of an anti-dumping duty investigation concerning the imports of ‘Liquified Natural Gas Fuel Tank (LFT)’ (hereinafter to be referred to as the “subject goods” or the “the product under consideration” or the “LFT”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/43/2024- DGTR dated 24th December 2024, published in the Gazette of India, initiating an anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from China PR in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

3.1 Initiation

- a. In accordance with the Rule 5(5), the Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation.
- b. The Authority issued a public notice dated 24th December 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from the subject country. The Authority sent a copy of the initiation notification to the government of the subject country, through their embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers/users, the domestic industry, the other Indian producers as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limits.

3.2 Circulation of non-confidential version of the application

- a. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the governments of the subject country, through their embassy in India, in accordance with Rule 7(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was provided to other interested parties, wherever requested.

3.3 Participation by Exporters of Subject Country

- a. The Authority sent exporter questionnaire to the following known producers/ exporters in subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

b.

SN	Name of producer/exporters in the subject countries.
1	Zhangjiagang Furui Cit Co. Ltd.
2	Shandong Auyan New Energy Technology Co. Ltd.
3	Shijiazhuang Enric Gas Equipment Co. Ltd

- c. In response to the above, none of the producers/exporters from China PR have responded and filed exporter's questionnaire response.
- d. Foreign producers, exporters and other interested parties who have not responded to the Authority, or have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating in this investigation.

3.4 Participation by Importers/Users

- a. The Authority send importer's questionnaire to the following known importers/users of the product under consideration in India calling necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- Advantek Fuel Systems Private Limited
 - Amol-Prala Clean Energy Pvt. Ltd.
 - Ashok Leyland Limited
 - Blue Energy Commercial Vehicles Private Limited
 - Maharashtra State Road Transport Corporation
 - Tata Motors Limited
 - Shigan Group
 - VE Commercial Vehicles Limited
 - VRV Asia Pacific Private Limited
- b. The following users/importers have registered in the present investigation.
- Advantek Fuel Systems Pvt. Ltd.
 - Amol Prala Clean Energy Pvt. Ltd.
 - Blue Energy Commercial Vehicles Limited
- c. Amol Prala Clean Energy Pvt. Ltd had filed submissions but has later withdrawn all its submissions. Accordingly, the submissions made by Amol Prala Clean Energy Pvt. Ltd have not been considered.

3.5 Period of Investigation and Injury Period

- a. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2023 to 30th June 2024 (15 months). The injury period for the investigation will cover the periods 1st April 2020- 31st March 2021, 1st April 2021- 31st March 2022. 1st April 2022- 31st March 2023 and the period of investigation.

3.6 Further procedure

- a. Upon examination of the application, the Authority found prima facie evidence of dumping and consequent injury. Therefore, in accordance with Rules 5 and 6, vide Notification F. No. 6/43/2024- DGTR dated 24th December 2024, the Authority initiated the present proceedings.
- b. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management (DG Systems) for transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis after due examination of the transactions.
- c. In accordance with Rule 6(2), the Authority informed interested parties of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassies of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.
- d. In accordance with Rule 6(3), the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the government of the subject country through its embassy in India, known exporters of the subject imports and to other interested parties who requested in writing for a copy of the application.
- e. The Authority sent questionnaires to the government of the subject country through its embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the Initiation Notification and the questionnaires to the producers of the subject goods in their country and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- f. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to assess public interest and impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was sent to the embassy of subject country, all the known exporters, importers and users and the domestic industry. The EIQ was also shared with the administrative line ministry. Only the domestic industry has filed a response to the EIQ.
- g. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.
- h. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 15th July 2025. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions. Subsequently, a second oral hearing was conducted on 12 December, 2025 and the parties were directed to submit written submissions and rejoinders, in accordance with the prescribed procedure.

- i. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- j. In accordance with Rule 7, the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- k. In accordance with Rule 8, the Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the domestic industry and the interested parties, which forms the basis of these final findings. The information was verified to the extent possible and verified the data documents submitted by the domestic industry and the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- l. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties for its analysis in the present case.
- m. The Authority calculated the non-injurious price (NIP) for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the domestic industry. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).
- n. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present final findings on the basis of the facts available.
- o. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- p. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts to all interested parties on 11th March 2026. The Authority has examined all the post disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- q. “***” in this final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- r. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$=Rs 83.82.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submission of the other interested parties.

4. The other interested parties have made following submissions regarding product under consideration.
 - i. The LNG storage tanks manufactured by domestic producers currently suffer from several critical limitations in terms of technology, performance, and commercial viability.
 - ii. India-made LNG tanks demonstrate lower 'hold time'- i.e., the duration for which LNG can be retained without boil-off- leading to increased product loss and reduced operational efficiency.
 - iii. During the refueling process, the internal pressure in the tank often increases beyond safety thresholds, requiring venting of LNG into the atmosphere. This not only presents environmental hazards but also leads to financial losses for vehicle owners.
 - iv. The domestic manufacturing ecosystem lacks a sufficient product range, particularly in the 200-litre to 1500-litre segment, which is essential to meet diverse vehicle platform requirements.
 - v. Though domestic manufactured LNG tanks are certified by PESO, their actual performance in field applications is significantly inferior to international benchmarks.
 - vi. PESO approval is limited to design and safety parameters and does not involve ongoing quality surveillance or batch-wise performance validation after commercial production commences.

C.2. Submission of the domestic industry.

5. The domestic industry has submitted as follows with regards to the scope of the product under consideration and like article:
 - i. The scope of the product under consideration in the present investigation is Liquefied Natural Gas Fuel Tank.
 - ii. The product under consideration is a double walled cryogenic storage tank for liquefied natural gas (particularly methane gas). It is used for maintaining the temperatures of liquids contained in them.
 - iii. LNG tanks are specially designed to handle the extreme temperature, which is for LNG to be used as fuel and prevent boil-off gas (evaporation).
 - iv. The product under consideration requires PESO certificate. Each and every tank produced by the domestic industry is inspected and approved by or on behalf of PESO.
 - v. PESO certification is mandatory under Indian law and serves as a benchmark for quality and safety. PESO evaluates equipment design, manufacturing processes, and storage facilities.
 - vi. The application process under PESO requires submission of test reports (i.e., lab reports from accredited facilities), technical specifications (i.e., detailed drawings, material composition, and safety features of products like pressure vessels or explosion- proof products), factory license and facility layout for site inspections, among other documents.

- vii. The applicant has certifications like ISO 9001 and IATF 16949 (International Quality Management System for Automotive Industry) for the subject goods. These certifications are the evidence that applicant maintains and prioritises quality of product.
- viii. Various users have provided satisfactory performance certification for the subject goods.
- ix. The product of the domestic industry is well accepted. The domestic industry has received various acknowledgement letters from the users for the product under consideration.
- x. The product manufactured by the domestic industry and those imported from the subject country share similar physical and chemical characteristics, manufacturing processes and technology, as well as functions and uses, making them commercially interchangeable.
- xi. The domestic industry has sold the product under consideration to the responding users. Admittedly there were very few instances wherein the users have raised issues with the product. The product being in new stage is expected to have some challenges. The domestic industry is continuously working to rectify them.
- xii. The domestic industry sells the subject goods in the export market and secured orders from renowned agencies. If the quality of the product would have been so bad, the domestic industry would not have survived in the export market.
- xiii. On the submission of the interested parties that the internal pressure in the tank provided by the domestic industry, often increases beyond safety thresholds, requiring venting of LNG into the atmosphere, the issue of pressure is not peculiar to the domestic industry alone and is equally applicable for all producers of the product owing to the nature of the tank.
- xiv. On the submission that the domestic industry lacks sufficient product range, the domestic industry has manufactured 200-litre to 990-liter LNG tanks during the injury period, establishing its capability in this segment.
- xv. Under the prevailing Gas Cylinder Rules, 2016, the approved capacity is restricted to less than 1,000 litres. Accordingly, any reference to capacities exceeding 1,000 liters is incorrect and constitutes a false claim.
- xvi. On the submission that the product supplied by the domestic industry has quality concerns, as per the information available with the domestic industry, the user has not imported the subject goods and has consistently only purchased from the domestic industry. Therefore, they cannot make statements and compare the quality of the domestic industry's product with the imported product.
- xvii. The users have made repeated purchases from the applicant. No tanks have been returned by these two entities. Further, admittedly few entities have returned the tanks. However, none of those entities have even filed concerns to the Authority.
- xviii. The domestic industry has sold *** tanks of 990L to the participating user. The domestic industry understands that *** tank is operational for almost 10 months and *** tanks have been in operation around 7 months. The domestic industry has not received any complaints from the user.
- xix. The domestic industry has also sold *** tanks of 400 liters tanks to the respondent. While admittedly there were certain concerns raised by the users in *** tanks, but that

- was 15 months after they were delivered to the respondent. Even then the domestic industry had assisted the customers by replacing them.
- xx. In India as well, the domestic industry has secured several orders from the OEMs and has signed an MOU with an entity for the conversion of substantial number of buses for Maharashtra State Road Transport Corporation.
 - xxi. The product being in new stage is expected to have some challenges. The applicant is continuously working to rectify them.
 - xxii. The consumers have in past, raised concerns on the tanks sold by applicant. However, applicant has taken prompt action in getting these concerns addressed.
 - xxiii. The applicant has addressed large number of concerns even after more than 700 days.
 - xxiv. Advantek Fuel Systems Pvt Ltd have made repeated purchases from the applicant.

C.3. Examination by the Authority.

- 6. The product under consideration was defined as 'Liquified Natural Gas Fuel Tank', also described as 'Liquid Fuel Tank' or 'LFT'.
- 7. A Liquified Natural Gas Fuel Tank is a double walled cryogenic storage tank for liquefied natural gas (particularly methane gas). Sample images of the product under consideration as provided by the domestic industry in the application are given below.



- 8. LNG fuel tanks are used for maintaining the temperatures of liquids contained in them. They are, in simpler terms, double walled vacuum cylinders with superinsulation used for the purpose of carrying fuel inside them that is used for combustion in commercial vehicles such as trucks. They have heat exchanger coil on one end that is used to vaporize the liquid fuel into vapors so that the same reaches the engine easily and can be used for combustion. The product comes in capacities varying from 200 Liters to 990 Liters at 16 bars to 24 bars pressure rating.
- 9. The product is classifiable under Chapter 73 under the customs code 7311 00 90. It is also noted that the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of subject investigation.
- 10. The demand for the product under consideration started growing from 2021-2022 as the truck companies started manufacturing LNG gas-based trucks in India. The demand for the

product is still at nascent stage but is growing rapidly. The demand increased from *** trucks in 2021-2022 to *** trucks during the period of investigation.

11. The domestic industry has submitted that the demand for LNG trucks will increase from 1000 trucks in 2023 to 50,000 trucks. With the increase in the demand for trucks, the demand for the LNG tanks is also going to increase.
12. LNG Fuel Tanks are used in large vehicles such as trucks and other vehicles. Their primary usage is for containing and carrying methane gas which power vehicle engine. These vessels are used to store fuel for on road & off-road vehicles. As the fuel is being stored in liquid form, to use the same at engine, it needs to be converted into gaseous form. The function of conversion is being done with the help of heat exchanger installed in the product.
13. The product comes in capacities varying from 200 Liters to 990 Liters at 16 bars to 24 bars pressure rating. The diameter and thickness of the LNG Tanks in the range of 200 Liters to 450 Liters remains the same, and only their length changes whereas in the case of 990 Liters capacity LFT the length, diameter and thickness all changes.
14. The Authority had granted an opportunity to all the interested parties to file their submissions on the scope of the PUC and PCNs, within 15 days of the circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation. On January 15th, 2025, the Authority granted extension of time for filing the comments on PUC/PCN till January 21st, 2025. However, no comments were received from any of the interested parties. Therefore, the Authority adopted the same PCN methodology proposed by the domestic industry and mentioned in the initiation notification. The PCN methodology adopted in the present investigation is reproduced below.

S. No	ADOPTED PCN	PCN Code
1	From 200 to 300 litres	A
2	From 301 to 500 litres	B
3	From 501 liters to 750 liters	C
4	More than 751 liters	D

15. The Authority has analyzed the contention of the interested parties regarding the quality of the product supplied by the applicant. The Authority notes that each product manufactured by the domestic industry is required to be statutorily certified by Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO), which is also a statutory requirement for importing the product under consideration in India. The Authority notes that in a situation where there is a regulatory authority in the country, controlling the quality and specifications of the product and the product cannot be sold by any party without a license from PESO, there is no basis to contend that the quality of a product conforming to PESO standards and passed by PESO is not acceptable.

16. The Domestic Industry has submitted that the application process for PESO certification involves evaluation of equipment design, manufacturing processes, and storage facilities. The application process also requires the applicant to submit lab reports from accredited facilities, which evaluates technical specifications like detailed drawings, material composition, and safety features of products like pressure vessels or explosion- proof products, factory license and facility layout for site inspections, etc. Therefore, to claim that PESO approval is limited to design and safety parameters and does not involve ongoing quality after commercial production commences would not be correct.
17. The domestic industry placed evidence showing that the various entities like Maharashtra State Road Transport Corporation, to which the domestic industry has supplied the product under consideration, have actually appreciated the quality of product. The domestic industry has also sold the product under consideration to the participating user. The Authority has also taken note that the domestic industry has placed evidence on record from users appreciating the quality of its product, which shows that the quality of the domestic industry's product is at par with the imported product.
18. The Authority analysed DG system data and notes that only one interested party has exclusively imported the product under consideration into India.
19. On the submission of the interested parties that the domestic manufacturing ecosystem lacks a sufficient product range, the domestic industry has placed evidence that it has manufactured and sold product under consideration in the range of 200- liter to 990- litre segment during the injury period. This covers complete product range of the product consumed in the period of investigation and injury period. Therefore, the submission of the interested party lacks merits.
20. Therefore, the product under consideration is concluded as 'Liquified Natural Gas Fuel Tank', also described as 'Liquid Fuel Tank' or 'LFT'.
21. The Authority notes that the product produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject country in terms of chemical characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process, and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority holds that the products produced by the domestic industry are 'like article' to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING.

D.1 Submission of the other interested parties.

22. The other interested parties have not made any submissions with regard to the scope of the domestic industry and standing.

D.2. Submission of the domestic industry.

23. The domestic industry has submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing:
- The applicant is a prominent manufacturer of cryogenic equipment. The domestic industry has over 30 years of experience in offering solutions across design, engineering, manufacturing and installation of equipment and systems for cryogenic conditions.
 - Apart from the applicant, there is one more producer of the product under consideration.
 - Inox India Limited accounts for majority of the subject goods in India.
 - Inox India Limited has not imported the subject goods from subject country and is not related to any exporter in the subject country or importer of subject goods in India.

D.3. Examination by the Authority.

24. The Authority notes that the present application has been filed by Inox India Limited.
25. Rule 2(b) of the Rules defines Domestic Industry as follows:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

26. Apart from applicant, there is one other producer of the product under consideration in India, Cryogas Equipment Private Limited. The Authority had sent communication to the other producer, but no information was received.
27. Inox India Limited has certified that it has not imported the product under consideration. The Authority has examined DG System’s transaction-wise data and found that there are no imports of the product under consideration by Inox India Limited.
28. The Authority holds that the applicant is eligible domestic industry within the meaning of the Rule 2(b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS AND CONFIDENTIALITY COMMENTS.**E.1 Submission of the other interested parties.**

29. The other interested parties have made following miscellaneous submissions:
- The Authority in the present case has adopted 15 months period of investigation on the request of the domestic industry. The reason cited was merely practical difficulties.

The Authority should examine the practical difficulties of the domestic industry which led to considering 15 months as period of investigation.

- ii. In the event of recommendation of the anti-dumping duty, it is requested that the domestic industry be directed to provide a binding undertaking and quality assurance guarantee for a specified period to ensure public interest through uninterrupted and timely supply of the subject goods, consistent quality, compliance with prescribed standards, time-bound repair and replacement, and effective after-sales support on commercially reasonable terms.

E.2 Submission of the domestic industry.

30. The domestic industry has made following miscellaneous submissions.

- i. The anti-dumping rules provides that while the normal period of investigation is twelve months, the Authority may allow a different duration 6 months to 18 months if sufficient reasons are provided in writing.
- ii. The Authority in the present investigation, only after proper scrutiny during the pre-initiation stage, accepted the applicant's proposal and duly recorded its reasoning in the notice of initiation. Therefore, such allegations should be rejected as they are without merit.
- iii. The user industry, Blue Energy has filed highly deficient response, unreasonably claimed many crucial information confidential and fail to adhere to the Trade Notice No. 08/2021 ("TN, 08/2021").
- iv. Blue Energy has claimed that the product supplied by the domestic industry is of substandard quality. However, it has been claimed the evidence submitted to the Authority has been confidential. This has prevented the domestic industry to safeguard its interest and providing any meaningful comments.
- v. The Authority should reject the questionnaire response filed by Blue Energy in terms of Trade Notice No. 08/2021 ("TN, 08/2021") for being highly deficient.
- vi. The request to mandate a binding undertaking and quality assurance guarantee from the applicant in the event of imposition of anti-dumping duty is without legal basis.
- vii. Issues relating to quality, after-sales service, repair, or replacement are governed by existing statutory regulations, and contractual arrangements between the buyer and the seller. It cannot be made conditional to the imposition of anti-dumping duty.

E.3 Examination by the Authority.

31. Interested parties have contended that the adoption of a fifteen-month period of investigation is not appropriate. It is observed that, in accordance with the provisions of the anti-dumping rules, the Authority ordinarily considers a period of twelve months as the standard period of investigation. However, the Rules empower the Authority, for reasons to be recorded in writing, to adopt a period of investigation of not less than six months and not exceeding eighteen months, as may be warranted by the facts and circumstances of the case.
32. It is further noted that, in several previous investigations, the Authority has adopted period of investigation either shorter or longer than twelve months, depending upon the facts in each case. In the present matter, the domestic industry had submitted that adoption of a

twelve-month period from July 2023 to June 2024 would have resulted in substantial practical difficulties in preparation and verification of costing data. The domestic industry had also clarified that the import volume and prices during fifteen-month period were comparable to those that would have prevailed in a twelve-month period, thereby ensuring that the impact of imports was not flawed.

33. The Authority notes that the interested parties have not disputed the accuracy of the reasons furnished by the domestic industry or considered by the Authority in adopting the fifteen-month period of investigation. Further, the interested party also has not provided the reasons why considering 15 months as period of investigation is inaccurate or inappropriate. The Authority observes that the selected period facilitates ease of data preparation and verification without causing any distortion or skewness in the analysis, given the comparable volume and value of imports during the relevant period.
34. The Authority compared the volume and price of imports during the 12 months and 15 months period, which is produced below. It is seen that considering a 12-month period (Jul 23 to Jun 24) instead of the period of investigation would have not shown any material difference in the facts. The landed price of imports is comparable, and the imports show comparable increase.

Particulars	UOM	Jul 23 to Jun 24	Apr 23 to Jun 24	Apr 23 to Jun 24 (A)
Import volume	PCS	287	387	310
Import value	Rs. Lacs	***	***	***
Import price	Rs/PCS	***	***	***

Source – DG System data.

35. The Authority also holds that consideration of accounting year as part of investigation period is desirable, particularly in those situations where its consideration would otherwise not skew the data. It is also noted that consideration of a fifteen-month period of investigation has not caused any prejudice or adverse impact on the outcome of the investigation or to bonafide interests of any set of interested parties. Accordingly, the Authority holds that the adoption of fifteen-month period of investigation is appropriate in the present case.
36. The Authority made available non-confidential version of the information provided by interested parties to all interested parties as per Rule 6(7) .
37. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or

any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

38. On the submissions that the Authority should mandate a binding undertaking for quality assurance and after sales services. It is submitted that the matters relating to the imposition of a binding condition for commercial undertakings fall outside the scope of the present investigation.
39. The submissions made by the domestic industry and the interested parties concerning confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. It is seen that the domestic industry and interested parties have claimed confidentiality on information, such as production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, landed price, injury margin, price adjustments, profit related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also seen that wherever information is for injury period, the same has been provided on indexed basis. Wherever information pertains to single year, the same has been disclosed in range, if such disclosure does not compromise confidentiality of information. The interested parties have claimed confidentiality on various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. In those cases where an interested party has not publicly disclosed its annual reports and financial statements, the same has been claimed confidential. Wherever the interested parties have claimed a document as confidential, it is noted that these interested parties have claimed that these documents are not susceptible of summary and have given reasons why summarization is not possible.
40. The Authority has consistently allowed interested parties to claim confidentiality in such information and documents provided by domestic industries, foreign producers and other interested parties in all investigations. The Authority notes that all the interested parties have

claimed their business-related sensitive information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Submission of the other interested parties.

41. The other interested parties have made the following submissions.
- i. For determining the domestic selling price of the subject goods in China PR, the Authority has considered cost of production of the domestic industry along with reasonable profits and general expenses. This methodology has loaded the inefficiency on part of the domestic industry and thus the cost of production results in substantial increase in the domestic selling price of Chinese exporters.

F.2 Submission of the domestic industry

42. The domestic industry has made the following submissions.
- i. None of the Chinese producers have participated in the present investigation. The absence of the participation by the producers from China is because of the fact that actual export price is lower than the export price reported by the domestic industry.
 - ii. The domestic industry requests the Authority to not provide any favorable outcome for the Chinese producer on account of non-cooperation.
 - iii. The Chinese producers have access to materially low-priced steel which forms 60-70% share in the cost of production of the product under consideration.

F.3 Examination by Authority.

Normal Value

43. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either: (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profit, as determined in accordance with the rules made under sub-section 6);

b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

44. In case of China PR, Annexure- I to the Rules provides as follows:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated Authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated Authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated Authority or by the competent the Authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country.

Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated Authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) *The designated Authority shall consider in each case the following criteria as to whether:*

(a) *the decisions of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs, substantially reflect market values;*

(b) *the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;*

(c) *such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and*

(d) *the exchange rate conversions are carried out at the market rate :*

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated Authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph].

45. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO member consistent with the following:

(a) *In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

(i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

(ii) *The importing WO member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the*

industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

46. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) have expired on 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.
47. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR have participated in this investigation to rebut this presumption as mentioned in para 8 of Annexure – I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure – I of the Rules.
48. It is noted that paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules stipulates three methods of constructing the normal value for non-market economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must be determined on the basis of the price

or constructed value in a surrogate country, the price of the exports from such country to other countries, including India, or on any other reasonable basis.

49. At the stage of filing the application, the domestic industry had submitted that the normal value for China PR should be constructed based on price actually payable in India, including reasonable profits for the like article being produced in India.
50. No information/evidence has been provided by the interested parties for the consideration of the normal value on the basis of the first and second methods. Therefore, the Authority has decided to construct normal value based on the third method, i.e., on any other reasonable basis. Under this, the normal value can be determined based on price actually paid or payable in India. For this purpose, the Authority has considered the optimized cost of production of the domestic industry, with a reasonable addition of selling, general and administrative expenses and profits.
51. The normal value for China PR has been determined on the basis of price payable in India calculated as per cost of production in India, duly adjusted for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. Separate normal value has been determined for each of the PCN, and thereafter one normal value for the PUC has been determined by the Authority. The normal value so determined is provided in the dumping margin table below.

Export Price

52. In absence of cooperation from any producers/exporters from China PR, the Authority has determined the net export price on the basis of DG system data. Since this data is on CIF terms, adequate adjustments have been made to arrive at ex-factory level. The export price for each PCN has been determined separately. The weighted average ex-factory export price, as determined, is shown in the dumping margin table below.
53. Based on normal value and export price as determined above, the dumping margin has been determined below.

Dumping Margin Table

SN	Name of Producer	Normal Value (\$/Nos.)	Net Export Price (\$/Nos.)	Dumping Margin (\$/Nos.)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (range)
A.	China PR					
1.	Any	***	***	***	***	50-60

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK.**G.1. Submission of the other interested parties.**

54. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:
- i. The subject goods from China has followed the demand trend and therefore rise in import volume from China should not be evaluated in isolation but with the fact of demand growth and the domestic industry's position of starting commercial operations as a fresh player in the year 2021-2022.
 - ii. The gap between domestic industry's selling price and the cost of sales has been the highest in the period of investigation when the landed price of imports was at maximum level and the gap between domestic sales and cost price was low when the landed price of imports was low.
 - iii. Any business entering the market takes time to establish itself and compete in the segment with the established players, especially when the product costs such a huge amount.
 - iv. The application for imposition of anti-dumping duty is motivated primarily by the intent to increase profits rather than genuine market concerns.
 - v. In the coming future there will be a significant increase in market demand for LNG vehicle conversion. This upcoming demand surge is expected to result in better economic performance for the domestic manufacturers.
 - vi. China operates over 1,000 LNG refueling stations and has deployed approximately 700,000 LNG-powered vehicles—a scale that far exceeds current adoption levels in India.
 - vii. The Authority should consider that China has reached economies of scale, has technological difference, the private sector investments, innovations and advancements. This makes domestic product un-competitive in comparison to Chinese products.
 - viii. The unit price of Chinese-origin LNG tanks are comparatively lower due to high-volume production, automated manufacturing process and long-term investments. Competitiveness should not be termed as dumping.
 - ix. As per the admission of domestic industry, the estimated production capacity stands at only *** units annually. Such low production volumes lead to higher per-unit costs.
 - x. The applicant is operating in a monopoly market and is charging excessively high prices. The 990-liter LNG tank was previously priced at ₹***, which has only recently been revised to ₹*** plus GST, likely in response to the potential threat of imports.
 - xi. The delivery timelines exceed two months due to lack of inventory.
 - xii. In the coming future respondents anticipate a significant increase in market demand for LNG vehicle conversion. This upcoming demand surge is expected to result in better economic performance for the domestic manufacturers.
 - xiii. The tanks produced by domestic industry are largely manufactured using manual fabrication techniques, resulting in significantly higher production costs as compared to global standards.
 - xiv. Imports have risen solely due to the inability of domestic products to meet market performance expectations.

G.2. Submission of the domestic industry.

55. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:
- i. The domestic industry has substantial un-utilized capacity to meet major portion of the increased demand. However, the continued inflow of dumped imports from China has restricted its ability to scale up production and utilized the installed capacity at optimum level.
 - ii. The domestic sales of the domestic industry decreased in 2022-2023. During the period of investigation, the imports from subject country sharply increased and at the same time the domestic sales of the domestic industry declined.
 - iii. The capacity utilisation of the domestic industry remained low in the period of investigation.
 - iv. With the increase in the imports from subject country, the inventory of the domestic industry has increased sharply.
 - v. The market share of the subject imports increased in 2022-2023 and has sharply shot up during the period of investigation.
 - vi. The dumped imports are undercutting the cost of the domestic industry and as a result, the domestic industry has been forced to sell below its cost of production. The price undercutting is negative in the period of investigation.
 - vii. For LNG tanks with capacity more than 750 liters, the domestic industry was forced to match the import price of the product, which is even less than the raw material cost. The Chinese producers were able to sell the product at such low prices because their raw materials are heavily subsidised by the Chinese Government.
 - viii. The domestic industry was profitable till 2022-2023. In the period of investigation, the cost of sales increased, but the domestic industry had to decrease its selling price due to decrease in import price.
 - ix. The domestic industry was operating in losses during the period of investigation.
 - x. The adverse effect of dumped imports on the domestic industry's prices should also be required to be seen in the context of loss of sales by the domestic industry. The demand increased but the domestic industry's sales did not increase in consonance. The entire increase in demand has gone to the dumped imports.
 - xi. In light of the growing demand for the product in India, the domestic industry has decided to expand its capacity and set up a new plant with an investment of Rs. *** cr. This has been done with the hope that anti-dumping duties will be recommended to create a level playing field.
 - xii. The productivity of the domestic industry during the entire injury period remained very low considering the capacity set up by them.
 - xiii. The domestic industry has incurred negative returns on cash profits and negative returns on PBIT and negative returns on the capital employed during the period of investigation.
 - xiv. The domestic industry has recorded negative growth in the period of investigation in terms of all prices and various volume parameters.
 - xv. The cash profit of the domestic industry has also steeply declined over the injury period.

- xvi. The dumping margin is not only positive but also very significant.
- xvii. Apart from the imports from China PR, there were imports from USA as well. However, imports from USA are in insignificant volume and are priced much higher than Chinese prices.
- xviii. The domestic industry has provided information on the price of 990-liter tank sold by them. It could be seen that price of 990-liter tanks is nowhere near to ₹*** or ₹*** plus GST as claimed by the users.
- xix. The argument of the responding users that delivery timelines exceed two months due to lack of inventory is incorrect. The domestic industry's capacity to produce is close to *** tanks per month. Also, the inventory with the domestic industry has continuously increased over the injury period.
- xx. China's competitiveness, economies of scale, technological advancement, and private sector investments are done with the extensive support provided by the Government of China to its LNG tank manufacturers. The support provided by the government has significantly distorted the market conditions.
- xxi. The low prices of the product under consideration also attributable to the fact that the major raw material, i.e., Steel is heavily subsidised. The steel sector is classified under the basic and pillar industries and is also part of the 'encouraged' industries.
- xxii. Steel forms 60-70% share in the cost of production of the product. Authority had in the sunset review of countervailing duties on the imports of Hot rolled cold rolled held that the Government of China exercises a strict control over the steel industry by law. The Authority had quantified a subsidy margin of about 25%. It is evident that the Chinese producers have access to materially low raw material prices because of the support of the Government of China which is allowing them to export the product under consideration at such low prices.

G.3. Examination by the Authority.

- 56. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "*... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...*". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

57. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws.
58. It is not necessary that all parameters of injury should show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority evaluates all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.
59. As regards the submission that the China has achieved economies of scale and the domestic industry is in-competitive in comparison to Chinese products, the Authority has examined the data of the domestic industry. The Authority notes that the landed price of the - imported PUC is below the raw material cost considered for calculation of non-injurious price. Therefore, the claim that the China has achieved economies of scale is incorrect. The Authority also notes that the major raw material cost for the product under consideration is steel, and the domestic industry contended that the same has been found subsidized by the Government of China.
60. As regards the submission of other interested parties that the estimated production capacity of the domestic industry stands at only *** units annually, the Authority has verified the data, and it is seen that the capacity with the domestic industry is *** pieces, which can be extended to *** pieces (if machinery works in three shifts as undertaken by the domestic industry in the year 2021-22). Further, it has also been seen that the domestic industry has decided to expand its capacity by setting up a new plant of *** tanks per annum with an investment of Rs. *** cr. Therefore, the claimed number by the interested parties does not appear to be correct.
61. As regards the submission of other interested parties that the domestic industry for 990-litre tank was charging ₹***, which is recently revised to ₹*** plus GST, the domestic industry has submitted information regarding the pricing of 990-liter tank. It is seen that the price structure of the domestic industry is significantly lower than the price mentioned by the interested parties. The domestic industry has sold the product at price of Rs *** in the period of investigation which is lower than the raw material cost of the domestic industry. Therefore, the submission of the interested party cannot be accepted.

G.3.1. Volume effect of the dumped imports

a. Assessment of demand/consumption

62. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, estimated sales of other producers and imports of LNG tanks from all sources.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Sales of the domestic industry	Nos.	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	7,400	6,400	6,200
2	Sales of other producers	Nos.	***	***	***	***
3	Import from subject country	Nos.	-	12	110	310
4	Import from other countries	Nos.	-	3	4	11
5	Total demand	Nos.	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	10,100	18,000	38,560
6	Capacity in India	No.	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	150	100	100

63. It is seen that the demand for the product increased in 2021-22, which further increased in 2022-23 and in the period of investigation. The demand has continuously increased over the injury period.

64. At present, the demand for the product under consideration is *** pieces. Against this demand, the domestic industry has a capacity of *** tanks which can be extended to *** tanks. In view of the growing demand for the product, the domestic industry has submitted that it has decided to expand its capacity by setting up a new plant of *** tanks per annum with an investment of Rs. *** cr.

b. Imports in absolute and relative terms

65. The information on volume of imports in absolute terms and relative terms over the injury period and in the period of investigation is as below.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Subject countries imports	Nos.	-	12	110	310
2	Other imports	Nos.	-	3	4	11
3	Total imports	Nos.	-	15	114	321
4	Subject countries import in relation to					
A	Indian production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	-	100	1,297	2,187
B	Demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	-	100	514	676
C	Total Imports	%	***	***	***	***
	Trend			100	120	121

66. It is seen that:

- a. The subject imports started entering the domestic market in 2021-2022, increased in 2022-2023 and then sharply increased in period of investigation.

- b. The imports from subject country increased in relation to Indian production, Indian demand and total imports in 2022-2023 in comparison to 2021-2022 and further increased in the period of investigation.

G.3.2. Price effect of dumped imports

67. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price undercutting

68. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation. The table below shows the price undercutting from the subject country.

SN	Particulars	UOM	Average
1	Landed price	₹/Nos.	***
2	Net Sales Realisation	₹/Nos.	***
3	Price Undercutting	₹/Nos.	***
4	Price Undercutting	%	Negative

69. It is seen that the landed price of subject imports in the period of investigation is marginally above the selling price of domestic industry resulting in marginal negative price undercutting.
70. The domestic industry has claimed that it was forced to reduce its prices in view of growing imports in the country. The domestic industry has submitted that it has offered its product to the consumer below import prices in view of increasing its sales.

b. Price suppression / depression

71. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Cost of sales	₹/Nos.	***	***	***	***
	Change	₹/Nos.		***	***	***
	Trend	Index	100	118	127	141
2	Selling price	₹/Nos.	***	***	***	***
	Change	₹/Nos.		***	***	***
	Trend	Index	100	75	76	63

72. It is seen that in the year 2021-2022, the cost of sales of the domestic industry increased by Rs *** per piece, the selling price declined by Rs *** per piece. The cost of sales has further increased in 2022-23 by Rs*** per piece but the selling price increased only by Rs *** per piece. The rate of increase in selling prices was lower than the rate of increase in cost sales of the domestic industry.
73. In the period of investigation, the cost of sales has further increased by Rs *** per piece, the selling price has declined by Rs *** per piece.
74. Over the injury period, while the cost of sales has increased by Rs *** per piece, the selling price has declined by Rs *** per piece. While the cost has increased, the prices have declined.
75. It is seen that over the injury period, the domestic industry's prices are depressed.
76. The table below shows the landed price of imports and the cost and selling price of the domestic industry for the comparable PCN.

SN	Particulars	UOM	POI
1	Cost of sales	₹/Nos.	***
2	Net selling price	₹/Nos.	***
3	Landed price	₹/Nos.	***

77. It is observed that the landed price of imports is below the cost of sales of the domestic industry. The landed price of imports being below the cost of sales has prevented the domestic industry from charging adequate remunerative prices. Therefore, the dumped imports have adversely impacted the prices of the domestic industry.

G.3.4. Impact on economic parameters of the domestic industry.

78. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales.

79. Information on capacity, production, capacity utilization and domestic sales over injury period is as follows:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Installed capacity	Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	150	100	100
2	Production PUC+NPUC	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	184	97	108
3	Capacity utilization	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	123	97	108
4	Production – PUC	Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	2,175	1,400	2,360
4	Domestic sales	Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	7,400	6,400	6,200

80. It is seen that: -

- The plant of the applicant is not dedicated to the domestic like product alone and is used for producing other tanks as well.
- The capacity of the domestic industry has remained the same over the injury period except in 2021-2022. In 2021-2022, due to the urgent requirements of oxygen cylinders in view of surge in COVID 19 cases, the domestic industry increased its capacity to *** tanks by running the plant in three shifts.
- The domestic industry commenced production of the domestic like product in the base year. The production increased in 2021-2022, declined in 2022-2023, and increased again in the period of investigation.
- When seen over the injury period, the production of the domestic like product has increased.
- The capacity utilization of the domestic industry increased in 2021-22 but declined in 2022-23 and increased again in the period of investigation.
- The domestic sales of the domestic industry increased in 2021-22, declined thereafter upto the period of investigation.

b. Market share.

81. Information on market share of imports and the Indian industry over the period was as follows:

SN	Market share of	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	73	36	16
2	Other producer	%	***	***	***	***
	Trend	Index	-	100	9	5
3	Imports from subject country	%	***	***	***	***

	Trend	Index	-	100	514	676
4	Other countries imports	%	***	***	***	***
	Trend	Index	-	100	75	98

82. It is seen that: -

- a. The market share of the domestic industry declined continuously and significantly over the injury period.
- b. The market share of the other producers remained negligible except for 2021-2022.
- c. The market share of subject imports has continuously increased during the entire injury period.
- d. The imports from subject country hold the highest and predominant share in demand during the period of investigation.
- e. The market share of imports from the non-subject countries remained negligible.
- f. The market share of the domestic industry continuously declined and at the same time, the market share of the imports from subject country continuously increased. During the period of investigation, the market share of the domestic industry was ***% whereas the market share of the imports was ***%.

c. Profitability, cash profits and return on investment.

83. Information on profitability, return on investment and cash profits is as follows:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Profit/(Loss)	₹/Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	39	34	(3)
2	Profit/(Loss)	₹ lakhs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	2,864	2,145	(192)
3	PBIT	₹/Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	39	33	(3)
4	PBIT	₹ lakhs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	2,862	2,141	(187)
5	Cash Profit	₹/Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	39	37	6
6	Cash Profit	₹ lakhs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	2,857	2,336	348
7	ROCE	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	146	29	(3)

84. It is seen that the profits of the domestic industry consistently declined over the injury period. The profits have culminated into financial losses in the period of investigation.

85. The domestic industry has earned profit before interest, cash profit and a positive return on capital employed till 2022-2023. The domestic industry suffered losses before interest and a negative return on capital employed during the period of investigation. While the cash profit is positive, it has declined by***% over the injury period.

d. Inventories.

86. Information on inventories is as follows:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Opening inventory	Nos.	***	***	***	***
2	Closing inventory	Nos.	***	***	***	***
3	Average inventory	Nos.	***	***	***	***
	Trend	Index	100	245	291	464

87. It is seen that the average inventory of the domestic industry has increased significantly over the injury period.

e. Employment, wages and productivity

88. Information on employment, wages and productivity over the injury period is as under:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	No of employees	Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	124	152	229
2	Salary & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	2,155	1,842	3,116
3	Productivity per day	No/Days	***	***	***	***
	Trend	Index	100	2,175	1,400	2,360
4	Productivity per employee	No/Emp	***	***	***	***
	Trend	Index	100	1,757	919	1,033

89. The number of employees increased during the entire injury period. Salary and wages also increased during the injury period. Productivity per day and per employee remained abysmally low.

f. Growth.

90. The information on growth is provided below: -

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	POI
1	Capacity utilization	Y/Y	23%	-21%	12%
2	Production quantity	Y/Y	2075%	-36%	111%
3	Domestic sales volume	Y/Y	7300%	-14%	22%
4	Profit/Loss per unit	Y/Y	-61%	-13%	-109%
5	Profit/Loss Rs Lakhs	Y/Y	2764%	-25%	-111%
6	Cash profits Rs per MT	Y/Y	-61%	-5%	-85%
7	PBIT Rs per MT	Y/Y	-61%	-14%	-109%

91. The Authority notes that domestic industry has recorded negative growth in the period of investigation in terms of all price parameters. While volume parameters have recorded positive growth in production and capacity utilization, the domestic sales and market share have recorded negative growth. The growth in production and capacity utilization is very low considering the growth in the demand for the product.

g. Magnitude of dumping

92. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant in the period of investigation.

h. Ability to raise capital investment.

93. It is noted that the profitability and return on capital employed by the domestic industry was negative during the period of investigation. The domestic industry was earning losses during the period of investigation. Therefore, the dumping of the product has impacted the ability to raise capital investment. However, in view of the significant projected growth in the demand of the product, the domestic industry has post the initiation of the anti-dumping investigation, taken decision to set- up a new plant of *** tanks per annum with an investment of Rs. *** crores to cater to the increased demand.

i. Factors affecting domestic prices.

94. Examination of import price shows that the import price from the subject country is materially below the cost of sales of the domestic industry. As imports from the subject country entered the domestic market at such prices, the domestic industry has been unable to align its prices in line with the increase in the cost of sales. The fact that the imports are entering Indian market below the cost of the domestic industry and the domestic industry has suffered significant losses, establishes the adverse impact of the dumped imports. Therefore, the imports from the subject country have affected the prices of the domestic industry.

j. Negative impact on the cash flow.

95. The low-priced imports have prevented the domestic industry from selling the product at remunerative prices. The cash profit of the domestic industry has steeply declined over the injury period. It is therefore seen that the dumping of the product has negatively impacted the cash flow of the domestic industry.

k. Conclusion on injury.

96. The examination of the imports of the product under consideration and performance of domestic industry shows that:
- a. The imports from the subject country have increased. There were no imports from subject country in the base year, but the imports entered the Indian market in 2021-22 and sharply increased over the injury period.
 - b. The imports have increased in absolute terms and in relation to production and demand.
 - c. The price undercutting is negative. The domestic industry has claimed that it was forced to reduce its prices in view of growing imports in the country.

- d. The domestic industry has submitted that it has offered its product to the consumer below import prices in view of increasing its sales.
- e. Imports from the subject country have depressed the prices of the domestic industry as the domestic industry has been unable to increase the prices. While the cost of sales increased by Rs *** per tank, the selling price declined by Rs *** per MT.
- f. Production and capacity utilization of the domestic industry have increased but the increase is not in line with the increase in demand.
- g. The majority of the demand is being catered by the dumped imports. The domestic industry's market share has declined.
- h. The domestic industry has suffered losses in the period of investigation. The domestic industry also suffered loss before interest. From a situation of Rs *** per tank profit in the year 2022-23, the domestic industry has suffered a loss of *** per tank in the period of investigation.
- i. The cash profit of the domestic industry has declined steeply.
- j. The dumping margin is above de-minimis level.
- k. The dumped imports are factor affecting the prices of the domestic industry.

97. The Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

H. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

98. As per the Rules, the Authority is required to, inter alia, examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

a. **Volume and price of imports from non-subject countries.**

99. The table below shows the import volume and price from third countries.

SN	Country	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Import volume from Non subject countries	Nos.	-	3	4	11
2	Import price	₹/Nos	-	***	***	***

100. It is seen that import volume from other countries is very low and the price at which is coming at a price higher than subject country and are non-injurious.

b. **Contraction in demand and / or change in pattern of consumption.**

101. The demand for the product under consideration has increased over the injury period. The demand is likely to increase more in future.

c. Trade restrictive practices.

102. The Authority notes that there is no trade restrictive practice.

d. Development of technology.

103. The Authority notes that information on record shows that technology for production of the product has not undergone any change.

e. Export performance.

104. The Authority has considered the injury data for the domestic operations separately for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause of injury to the domestic industry.

f. Performance of other products.

105. The Authority has considered the data relating to the performance of the product under consideration only. Therefore, performance of other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

106. The Authority notes that other known factors which could have caused injury to the domestic industry have been duly examined in the non-attribution analysis above and do not appear to have caused injury to the domestic industry. The following factors establish that injury is caused due to dumping.

- a. The imports from subject country are at dumped prices.
- b. Due to dumping of the product, the prices of the domestic industry are depressed.
- c. Due to dumping of the product, the profits, cash profits and return on investment of the domestic industry have declined. The domestic industry has suffered losses, loss before interest and steep decline in cash profits.
- d. The imports from the subject countries have increased because they are at dumped prices. The imports have taken away the market share of the domestic industry who has been unable to increase its market.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN.

107. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The non-injurious price has been compared with the landed price of the product under consideration from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials and utilities and best utilization of production capacity has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or non-injurious price. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) deployed for the product under consideration has been allowed for recovery of interest, corporate tax, and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

Injury Margin Table

SN	Name of Producer	NIP (\$/Nos.)	Landed Price (\$/Nos.)	Injury Margin (\$/Nos.)	Injury Margin (%)	Injury Margin (range)
A.	China PR					
1.	Any	***	***	***	***	40-50%

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES**J.1. Submission of the other interested parties.**

108. The other interested parties have made following submissions on Indian industry interest:

- i. There is already a regulatory measure that is in place for imports. Any additional regulatory measures in the form of anti-dumping duty would hinder the interests of importers/users and the ultimate consumers.
- ii. There is a basic customs duty of 10% which is already applicable for the imports of the subject goods. If any further duty in the form of anti-dumping duty is imposed, it will adversely affect the downstream market.
- iii. The return on investment (ROI) typically exceeds two years in case of conversion of vehicle from diesel to LNG. Thus, make conversion commercially unattractive for fleet operators. Any additional cost in the form of anti-dumping duty would decrease the demand.
- iv. The imposition of anti-dumping duty on imported LNG fuel tanks would result in a price escalation of more than 20%–25% for retrofitthers.
- v. The lack of economic viability for LNG retrofits is a critical factor and must be duly considered while assessing injury, market potential, or domestic industry viability.
- vi. The imports from China may have unintended consequences on the nascent LNG ecosystem in India as present price structure of the domestically manufactured LNG tanks is not economically viable for both new vehicles builds and for diesel-to-LNG retro fitment.
- vii. Retrofitthers typically charge between ₹12.00 lakh to ₹18.00 lakh (excluding GST) for conversion of diesel vehicles to LNG, with a significant proportion of this cost being attributable to the LNG fuel tank itself. Any increase in the cost of this critical component will render the retrofitting business commercially unviable.
- viii. There will be disproportionate impact of ADD on retrofitthers as opposed to OEMs. The proposed imposition of Anti-Dumping Duty (ADD), which could increase the tank cost by approximately ₹*** lakhs per unit. This will make the retrofitting business entirely unviable.
- ix. At this nascent stage of market development, the imposition of ADD on LNG tanks would be premature and counterproductive as it would disrupt market access, inflate costs, and restrict growth.
- x. The LNG fuel tank constitutes around 40-50% of the LNG retrofitting cost of a commercial vehicle. This implies that there will be an increase of ₹*** per vehicle and extends the return on investment by one year, thereby materially impairing project viability.

- xi. The fleet operator would not be willing to incur such an elevated upfront cost merely to recover the same over the notional 15-year lifecycle of an LNG Tank.
- xii. OEMs like Blue Energy, who imported the subject goods were able to successfully introduce LNG trucks into the Indian market. Whereas the entities who exclusively relied on the domestically manufactured LNG tanks have suffered financial losses, repeated project failures and in many cases, closure of LNG conversion project due to persistent performance issues.

J.2. Submission of the domestic industry.

109. The domestic industry has made following submissions on Indian industry's interest:
- i. Even if the antidumping duties were to have any impact on the downstream industry, truck driver and the ultimate consumer, the impact is insignificant.
 - ii. The impact on the truck producers ranges around 3 to 6%.
 - iii. For a truck driver, while the increase in cost is Rs*** per annum, which amounts to 0.22 Rs per KM. This will amount to increase in per KM running cost of Rs 35 by 0.61%. The truck drivers at the same time will save around Rs *** per annum if they switch to LNG.
 - iv. Even if the truck driver was to increase its prices, the increase in per KM price will be 0.22 Rs per KM on Rs 50 per KM, which is 0.43 %.
 - v. The impact of anti-dumping duty per kilometer is 0.43%. This impact is without considering the savings of the truck drivers and the income out of scrap sale. If these are considered, the impact will be negative.
 - vi. The applicant's selling price for a 450-litre LNG tank is ₹*** per unit. The retrofitters' own admission that a ₹*** increase would extend ROI by only one year indicates their high margins; even then, returns would remain around 50%, far above the applicant's ROCE of about 22%.
 - vii. The impact of anti-dumping duty on a fleet operator will only Rs 0.22 per KM. While admittedly, the upfront cost may increase but the increase is only 6% of the total cost. The excess anti-dumping duty paid will be recovered within a year by the fleet operator through cost savings.
 - viii. Retrofitting is a service-oriented activity and primarily offer services related to the installation only. Retrofitting industry will pass on the increase in the cost. Hence, a change in the price of one component (i.e., the LNG tank) does not affect the viability of their operations.
 - ix. On submission that OEMs like Blue Energy, who imported the subject goods were able to successfully introduce LNG trucks into the Indian market whereas entities who has procured domestically has suffered, Blue Energy has not only imported the subject goods but also has purchased from the applicant and has not made even a single return during the injury period. Infact, Blue Energy has not come forward and raised a quality concern.
 - x. The participating interested parties as well have not returned even a single tank. This shows that these two entities, among other entities, are also able to successfully install tanks, which was supplied by the domestic industry.

Estimated Impact of the Anti-Dumping Duty on the Downstream Industry as submitted by Domestic Industry

110. The Domestic industry has submitted that the impact of anti-dumping duty (if imposed) on truck producers is 3% to 6% over the life of the asset for OEMs.

SN	Particulars	UOM	Tata Prima	Blue energy
1	Cost of a truck	Rs	***	***
2	Increase in cost on account of anti-dumping duty	Rs	***	***
3	Impact	%	3%	6%

111. The domestic industry has additionally claimed that the impact of anti-dumping duty on the downstream user would be Rs. *** per year. The domestic industry has provided the information as below.

SN	Particulars	UOM	Value
1	ADD	Rs	2,06,426
2	Average Useful Life of the LNG Fuel Tank	Years	10
3	ADD per annum	Years	20,643
4	Average running per annum	KM	96,000
5	Impact per km	Rs	0.22
6	Running cost per KM	Rs	35
7	Increase in cost	Rs	0.61%
8	Price charged per KM	Rs	50
9	Per year cost increase	Rs	20,643

J.3. Examination by the Authority

112. The Authority considered whether recommendation of the anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of various parties including the domestic industry, foreign producers and consumers.
113. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability to switch sources, and the effect of the anti- dumping duty on the consumers.
114. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest

of the country. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the continuation of anti-dumping measures would prevent the decline of the domestic industry that may ensue as a consequence of low-priced imports from the subject country and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the product under consideration.

115. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties in this investigation. Apart from domestic industry, none of the interested parties have responded to the economic interest questionnaire.
116. The Authority notes that the condition of the domestic industry is vulnerable due to imports from subject country. The domestic industry was suffering losses in the period of investigation. The landed price of imports is below the raw material cost of the domestic industry. It is therefore considered that the imposition of anti-dumping duty will benefit the imposition of measures.
117. The Authority observes that retrofitters are entities engaged in converting existing diesel or gasoline-powered trucks into electric or LNG-based vehicles. Their core function involves modifying the original vehicle configuration by replacing certain components with new systems suitable for the alternative fuel operation. The Authority further notes that the activity undertaken by retrofitters is essentially service-oriented in nature. They are primarily involved in the installation and integration of components and are not engaged in the manufacture or trading of such parts. Typically, a retrofitter procures the required components from the open market and undertakes only the installation and conversion work on the specific vehicle. In this context, the retrofitters would have the ability to pass on any incremental cost, including any increase in tank price, to the end customer or downstream user of the converted vehicle. Accordingly, it cannot be concluded that the imposition of anti-dumping duty would adversely impact the commercial or operational viability of retrofitters.
118. Regarding the submission of the interested parties on return on investment employed to extend by one year if there is an increase in price of the product by Rs. *** the average useful life of the truck is 15 years. The product being a capital goods meant to provide return on the capital employed over the period of time. In this instance, as per the own admission of interested parties with increase in product cost by Rs. ***, the return on investment will extend just by one year. This demonstrates that the interested parties would continue to earn substantial and commercially viable profit margins over the remaining life of the asset.
119. On the submission that Blue Energy has imported the subject goods and thus able to successfully introduce LNG trucks into the Indian market, it is noted that Blue Energy not only imported the subject goods but also has purchased from the domestic industry. Blue Energy being a registered interested party has not even come forward and made submissions

regarding the quality of the product. Therefore, any submission by other interested parties on behalf of Blue Energy is not appropriate.

120. Regarding the contention that the domestic industry has not made adequate investments in product innovation, the Authority notes that the product is in development phase. In view of the growing demand for the product, the domestic industry has submitted that it has made a decision of setting up a new plant of*** tanks per annum capacity with an investment of Rs. ***crore.

J.4 Estimated Impact on downstream users

121. The submission made by the interested parties have been analyzed. The duty amount has been considered at estimated duty of \$***for one piece/unit of LFT. Further the truck cost as well as estimated duty amount has been amortized @15 % rate of depreciation (Rate of Depreciation for motor vehicles as per Income Tax Act) applying written down value method. On the basis of analysis, it is noted that the Additional Duty (ADD) impact on truck running costs per kilometer remains proportionally constant at about*** of the truck's amortized value each year, whereas the absolute effect diminishes steadily as the truck depreciates. In year one, the ADD adds ₹0.28 per km, which is a 0.80% increase over the base running cost of ₹35/km. By the year ten, this impact falls to just ₹0.06 per km, raising costs by only 0.19%. This decline occurs because both the duty impact and amortization values reduce in line with the truck's depreciating cost, while the average annual running distance remains fixed at 96,000 km. Overall, the ADD has a miniscule effect on operating expenses, with its influence tapering off over time, making it a relatively minor contributor to per-kilometer costs compared to the base running cost.

Year	Cost of a truck (Amount in ₹)	Duty (Amount in ₹)	Amortisation of truck @15% Written Down value Method (Amount in ₹)	Per year ADD Impact @ 15% (Amount in ₹)	Total Impact of ADD over life of Asset (%)	Amortised Cost of ADD impact per annum (Amount in ₹)	Average Running per Annum (In Kms)	Impact per KM (Amount in ₹)	Running cost per KM (Amount in ₹)	Increase in cost per KM (in %)
1	60,00,000	***	***	***	***	***	96,000	0.28	35	0.80%
2	51,00,000	***	***	***	***	***	96,000	0.24	35	0.68%
3	43,35,000	***	***	***	***	***	96,000	0.20	35	0.58%
4	36,84,750	***	***	***	***	***	96,000	0.17	35	0.49%
5	31,32,038	***	***	***	***	***	96,000	0.15	35	0.42%
6	26,62,232	***	***	***	***	***	96,000	0.12	35	0.35%
7	22,62,897	***	***	***	***	***	96,000	0.11	35	0.30%
8	19,23,463	***	***	***	***	***	96,000	0.09	35	0.26%
9	16,34,943	***	***	***	***	***	96,000	0.08	35	0.22%
10	13,89,702	***	***	***	***	***	96,000	0.06	35	0.19%

K. Post Disclosure Comments:**K.1 Submission by other interested Parties;**

122. No Comments have been received from the any other interested party.

K.2 Submission by the Domestic Industry:

123. Domestic Industry has submitted that ,

1. The Authority has found that the imports from the subject country are at dumped and injurious prices. The economic parameters of the domestic industry show steep deterioration due to the dumped imports.
2. The impact of the anti-dumping duty on the downstream product is minuscule.
3. In view of the growing demand, the domestic industry decided to expand the capacity by [***] tanks with an investment of [***] crore. In future there will be no demand and supply gap, and the downstream producers do not need to rely on imports.
4. Given the fact that the product is still at nascent stage and the domestic industry is suffering because of the dumped imports, duties are required to be imposed for a period of 5 years.
5. Since there is significant fluctuation in the cost and price of different types of tanks, ad valorem form of duty is most appropriate form of anti-dumping duty.

K.3 Examination by the Authority .

The Authority notes that submissions made already addressed earlier in the disclosure statement. The findings above ipso facto deal with these arguments of interested parties.

L. CONCLUSION

124. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
- a. The product under consideration is 'Liquified Natural Gas Fuel Tank (LFT)', also described as 'Liquid Fuel Tank' or 'LFT'.
 - b. The product comes in capacities varying from 200 Liters to 990 Liters at 16 bars to 24 bars pressure rating. The diameter and thickness of the LNG Tanks in the range of 200 Liters to 450 Liters remains the same, and only their length changes whereas in the case of 990 Liters capacity LFT the length, diameter and thickness all changes.
 - c. The product is classifiable under Chapter 73 under the customs code 7311 00 90.
 - d. The domestic industry has sold the product under consideration to the participating user.

- e. The domestic industry has placed to record evidence showing that it has manufactured and sold product under consideration in the range of 200-litre to 990-litre segment during the injury period. This covers the complete product range.
- f. The product manufactured by the domestic industry and the subject goods exported from the subject country are like article to each other in terms of Rule 2(d) of the Rules.
- g. Other than applicant, there is one other producer of the subject goods in India, namely Cryogas Equipment Private Limited.
- h. The applicant has not imported the product under consideration.
- i. The applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
- j. The period of investigation for the present investigation is 1st April 2023 to 30th June 2024 (15 months), and the injury examination period covers April 2020 to March 2021, April 2021 to March 2022, April 2022 to March 2023 and the period of investigation.
- k. The Authority has, pursuant to Rule 5(3A) of the Rules, provided sufficient reasoning within the initiation notification for considering a 15-month period of investigation.
- l. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of the anti-dumping investigation and necessary evidence in terms of Rule 5(2) of the Rules to justify the initiation of the present investigation for determination of dumping and material injury to the domestic industry in terms of Rule 5 (3) of the Rules.
- m. No interested party from China PR participated in the present investigation to rebut the non-market economy presumption as mentioned in para 8 of Annexure-I of the Rules. Therefore, normal value for China PR is determined as per facts available.
- n. Normal value for China PR has been determined separately for each of the PCNs on the basis of price payable in India calculated as per cost of production in India, duly adjusted for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.
- o. In the absence of cooperation from any producers/exporters from China PR, the Authority has determined the net export price on the basis of DG system data. Since this data is on CIF terms, adequate adjustments have been made to arrive at ex-factory level. The export price for each PCN has been determined separately and a weighted average ex-factory export price has been determined.
- p. The dumping margin determined for producers/exporters from China PR is positive and significant.
- q. Demand for the product under consideration has increased over the injury period.
- r. Imports from subject country has increased substantially both in absolute and relative terms over the injury period.
- s. The landed price of the subject imports in the period of investigation is marginally above the selling price of the domestic industry resulting in marginal negative price undercutting.
- t. The landed price of the imports is below the cost of sales of the domestic industry. The landed price of imports being below the cost of sales has prevented the domestic industry from charging adequate remunerative prices.
- u. The capacity of the domestic industry remains same over the injury period except in 2021-2022.

- v. The market share of the domestic industry declined continuously over the injury period. At same time, imports from subject country hold pre-dominant share in demand during the period of investigation. The market share from non-subject countries remained negligible.
- w. The domestic industry has suffered losses in the period of investigation. The domestic industry also suffered loss before interest.
- x. The domestic industry has not suffered due to other factors. Material injury caused to the domestic industry is due to dumping of the product under consideration from subject country.
- y. The non-injurious price has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry.
- z. The injury margin determined for producers/exporters from China PR are positive and significant.
- aa. The impact of anti-dumping duty on downstream producers is insignificant.
- bb. Anti-dumping duty would ensure that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry.
- cc. Imposition of anti-dumping duty would not be against the larger public interest.

M. RECOMMENDATIONS

125. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the possible interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the anti-dumping rules, the Authority is of the view that imposition of duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.
126. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends the imposition of an anti-dumping duty equal to the lesser margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

Duty table

SN	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Duty as % of CIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	7311 00 90*	Liquified Natural Gas Fuel Tanks	China PR	Any country including China PR	Any	45%

2	-do-	do-	Any country other than China PR	China PR	Any	45%
---	------	-----	------------------------------------------	----------	-----	-----

** The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.*

127. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 88, 9 and 9A of the said Act.

N. **FURTHER PROCURE.**

128. An appeal against the determination/review of the Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

AMITABH KUMAR, Designated Authority